# संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947

## (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26, 1947)

# THE UNITED PROVINCES PANCHAYAT RAJ ACT, 1947

## (U.P. Act No. XXVI of 1947)

# संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947[1]

## [संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26, 1947]

उ०प्र० अधिनियम संख्या 10, 1950
उ०प्र० अधिनियम संख्या 6, 1952
उ०प्र० अधिनियम संख्या 18, 1952
उ०प्र० अधिनियम संख्या 6, 1954
उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 1955
उ०प्र० अधिनियम संख्या 19, 1957
उ०प्र० अधिनियम संख्या 15, 1960
उ०प्र० अधिनियम संख्या 3, 1961
उ०प्र० अधिनियम संख्या 33, 1961
उ०प्र० अधिनियम संख्या 9, 1962
उ०प्र० अधिनियम संख्या 20, 1963
उ०प्र० अधिनियम संख्या 10, 1965
उ०प्र० अधिनियम संख्या 20, 1966
उ०प्र० अधिनियम संख्या 14, 1968
राष्ट्रपति अधिनियम सं0 38, 1968
उ०प्र० अधिनियम संख्या 6, 1969
उ०प्र० अधिनियम संख्या 19, 1970
उ०प्र० अधिनियम संख्या 18, 1971
उ०प्र० अधिनियम संख्या 31, 1972
उ०प्र० अधिनियम संख्या 3, 1973
उ०प्र० अधिनियम संख्या 37, 1978
उ०प्र० अधिनियम संख्या 27, 1989
उ०प्र० अधिनियम संख्या 17, 1990
उ०प्र० अधिनियम संख्या 9, 1994
उ०प्र० अधिनियम संख्या 21, 1995
उ०प्र० अधिनियम संख्या 29, 1995
उ०प्र० अधिनियम संख्या 21, 1998
उ०प्र० अधिनियम संख्या 27, 1999
उ०प्र० अधिनियम संख्या 33, 1999
उ०प्र० अधिनियम संख्या 22, 2000
उ०प्र० अधिनियम संख्या 24, 2001
उ०प्र० अधिनियम संख्या 12, 2004
उ०प्र० अधिनियम संख्या 44, 2007
उ०प्र० अधिनियम संख्या 6, 2017

**द्वारा संशोधित**

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 8 अगस्त, 1946 का सरकारी गजट देखें।

**[यू0 पी0 विधान सभा ने 5 जून, 1947 को तथा यू0पी0 विधान परिषद् ने 16 सितम्बर, 1947 को पारित किया।**

**गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 76 के अधीन डोमीनियन आफ इंडिया के गवर्नर जनरल की स्वीकृति 7 दिसम्बर, 1947 को प्राप्त हुई तथा यू0पी0 गवर्नमेंट गजट में दिनांक 27 दिसम्बर, 1947 को प्रकाशित किया गया।]**

**संयुक्त प्रान्त के ग्राम्य क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने और विकसित करने के लिये**

## अधिनियम

**यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त के ग्राम्य क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित तथा विकसित किया जाय तथा ग्राम्य प्रशासन और विकास के लिये अधिक अच्छी व्यवस्था की जाय,**

**अतः एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :**

## अध्याय 1

## प्रारम्भिक

**संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारम्भ**

**1**–(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा सिवाय उस क्षेत्र के [1][उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अधीन नगर अथवा] जो संयुक्त प्रान्त म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के उपबन्धों के अधीन म्युनिसिपैलिटी [2][या] नोटीफाइड एरिया अथवा कैन्टोनमेन्टस ऐक्ट, 1924 के उपबन्धों के अधीन कैटोनमेन्ट अथवा संयुक्त प्रान्त टाउन एरियाज ऐक्ट, 1914 के उपबन्धों के अधीन टाउन एरिया के रूप में घोषित किया जा चुका हो या उसमें सम्मिलित है या एतद्पश्चात् घोषित या सम्मिलित किया जाय।

**सं0प्रा0 ऐक्ट सं0 2, 1916 ऐक्ट सं0 2, 1924 सं0 प्रां0 ऐक्ट सं0 2, 1914**

[3][ x x x ]

**(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।**

**परिभाषायें**

**2**–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में–

(क) [4][ x x x ]

(ख) ''वयस्क'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने [इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।][5]

[6][(खख) 'पिछड़े वर्गों'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है।]

(ग). [4][ x x x ]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 2 (क) द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 2 के उप खंड 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 2(ख) द्वारा निकाला गया।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 3(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 3(क) द्वारा बढ़ाया गया।

(घ). [1][ x x x ]

[2][(ङ) किसी ग्राम सभा के अभिदेश में ''कलेक्टर'' अथवा ''जिला मजिस्ट्रेट'' या ''सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट'' का तात्पर्य यथा स्थिति उस जिले के या उस सब–डिवीजन के क्रमशः कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट या सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट से है जिसमें ऐसी गांव सभा संघटित हो [और उसके अन्तर्गत क्रमशः अतिरिक्त कलेक्टर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट भी होंगे]

[3][(ङङ) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी'' का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे किसी जिले में निर्वाचक नामावली को तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङङङ) 'सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे एक या उससे अधिक पंचायत क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो।]

[4][(च) ''जिला पंचायत'' का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (11) के अधीन इसके लिए दिया गया है।

(छ) –ग्राम सभा' का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित और धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है;

(ज) 'ग्राम पंचायत' का तात्पर्य धारा 12 के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत से है;]

[5][(जज) 'वित्त आयोग' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 348–अ के अधीन संघटित वित्त आयोग से है ;

(जजज) 'क्षेत्र पंचायत' का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (6) के अधीन इसके लिए दिया गया है] ;

[6][(झ) ''निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी'' का तात्पर्य धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नाम–निर्दिष्ट या पदाभिहित अधिकारी से है;]

(ञ) [7][ x x x ]

(ट) [1][ x x x ]

[8][(टट) 'राज्य निर्वाचन आयोग' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243–ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग से है ;

[9][(टटट) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)' का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से, इस रूप में पदाभिहित या नाम–निर्दिष्ट किया गया हो ;,

[8][(ठ) 'जनसंख्या' का तात्पर्य ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं ;]

[8][(ठठ) 'पंचायत क्षेत्र' का तात्पर्य धारा 11–च की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में घोषित किसी ग्राम पंचायत के प्राविधिक क्षेत्र से है ;]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1957 की धारा 2(1) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2004 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 3(ग) द्वारा जोड़ा गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 3 के उपखण्ड 3 द्वारा निकाला गया।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 3(घ) द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

(ड) [1][ x x x]

[(डड) ''सार्वजनिक सम्पत्ति'' और ''सार्वजनिक भूमि'' का तात्पर्य किसी ऐसे सार्वजनिक भवन पार्क या उद्यान या अन्य स्थान से है जिसमें चाहे भुगतान करके या अन्यथा जनता की पहुंच तत्समय हो अथवा पहुंचने को अनुज्ञा दी जाती हो ;][2] उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1951

(ढ) ''लोक सेवक'' का तात्पर्य भारतीय दंड–संहिता 1860 की धारा 21 के अधीन यथापरिभाषित लोक सेवक से है ;

(ण) ''सार्वजनिक सड़क'' का तात्पर्य किसी मार्ग, सड़क, पुल गली, चौक, वीथिका या पथ से है जिस पर जनता को आने–जाने का अधिकार हो तथा इसके अन्तर्गत दोनों ओर की नालियां या नालें तथा उससे मिली हुई किसी सम्पत्ति की नियत सीमा तक को भूमि भी है भले ही ऐसी भूमि पर किसी बरामदे या अन्य अधिरचना का कोई प्रक्षेप हो। [किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा आगे सड़क पुल, गली, चौक, बीथिका या पथ नहीं है जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो या जिसका अनुरक्षण या मरम्मत उनके द्वारा किया जाता हो;][3]

(त) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

[4][(थ) ''नियत प्राधिकारी'' का तात्पर्य निम्नलिखित से है ] :—

(1) [5][उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधनियम, 1961] की अनुसूची 3 में उल्लिखित इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये, जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत जैसा कि उस अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट किया जाय ; तथा

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के संबंध में, वह प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा चाहे सामान्यतया या किसी विशेष प्रयोजन के लिये इस रूप में अधिसूचित किया जाय ;]

(द) [6][ x x x ]

(ध) [7][ x x x ]

[8][(ध ध) ''सब डिवीजनल अधिकारी'' के अन्तर्गत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नोमोदिष्ट या नियुक्त अतिरिक्त सब डिवीजनल अधिकारी भी है।]

(न) ''गांव'' का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जो उस जिले के जिसमें वह स्थित हो, राजस्व संबंधी अभिलेखों में गांव के रूप में अभिलिखित हो [9][और इसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र भी है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा गांव घोषित करे।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 2 (घ) द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 3 की उपधारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 3 की उपधारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1961 की अनुसूची 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 3(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 3 की उपधारा 7 द्वारा निकाला गया।
7. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
8. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1957 की धारा 2(2) द्वारा बढ़ाया गया।
9. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या II 1955 की धारा 3 की उपधारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।

(प) [1][ x x x

(फ) [1][ x x x ]

(ब) [2][ x x x ]

[3][(भ) ''भूमि प्रबंधक समिति'' का तात्पर्य उस भूमि प्रबंधक समिति से है जो धारा 23–क के अधीन स्थापित की गयी हो या स्थापित की गयी समझी जाती हो।]

## अध्याय 2

## ग्राम सभा की स्थापना और संघटन

**ग्राम सभा**

[4]**[3**–राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम के लिए या ग्रामों में समूह के लिए एक ग्राम सभा, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, स्थापित करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाय वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम ग्राम सभा के नाम के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

[5][(3–क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों में किसी धारा के होते हुये भी, जहां, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक, नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश के विनिर्दिष्ट की जाय, पदधारण करेगा और ग्राम पंचायत, उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।]

**4**–[6][ x x x ]

**5**–[6][ x x x ]

## [7][अध्याय 2–क

## ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता और निर्वाचक नामावली इत्यादि]

**ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता**

[8]**[5–क**–कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा, यदि–

(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या II 1955 की धारा 3 की उपधारा 10 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 3(ङ) द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1961 की अनुसूची (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2000 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 5 द्वारा हटाया गया।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष में कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ;

(ख) वह ग्राम पंचायत [1][ x x x ] का वैधानिक सेवक हो ;

(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या [2][ग्राम पंचायत [3][ x x x ] से भिन्न, किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम] के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो ;

(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या [4][ x x x ] की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो ;

(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत या कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या संपत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किए जाने की अपेक्षा किए जाने पर भी, विफल रहा हो ;

(च) वह अनुन्मोचित दिवालिया हो ;

(छ) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(ज) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो ;

(झ) उसे एसेंशियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 या यू0पी0 कन्ट्रोल आफ सप्लाई (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, 1947 के अधीन दिए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो ;

(ञ) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो ;

(ट) उसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1965 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो ;

(ठ) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो ;

(ड) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक निर्योग्यताओं का निराकरण अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो ; या

(ढ) उसे धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के उपखण्ड (3) धारा (4) के अधीन पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतर अवधि जैसी राज्य सरकार रे किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गई हो :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 3(क) द्वारा हटाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1998 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 3(ख) द्वारा हटाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 3(ग) द्वारा हटाया गया।

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ) या (ड) के अधीन अनर्हता की अवधि ऐसे दिनांक से, जिसे नियत किया जाय, पांच वर्ष होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिए जाने के अभिलेख या संपत्ति दे दिए जाने पर खण्ड (ड) के अधीन अनर्हता न रह जाएगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्ड के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकती है।][1]

**5–ख** [2][ x x x ]

**सदस्यता का न रह जाना**

[3][**6**–(1) [4][ग्राम पंचायत का कोई सदस्य] उसका सदस्य नहीं रह जायगा यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि [5][ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली] से निकाल दी जाय।]

[6][(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन [7][ग्राम पंचायत] का सदस्य न रह जाय, तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह गांव सभा का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, बना न रहेगा।]

**अनर्हता संबंधी प्रश्न का निर्णय**

[8]**[6**–ए–यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति धारा 5–ए या धारा 6 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो ऐसा प्रश्न नियत प्राधिकारी को उसके निर्णय के लिये अभिदिष्ट किया जायगा और उसका निर्णय, किसी ऐसी अपील, जो नियत की जाय, के परिणाम के अधीन रहते हुये, अन्तिम होगा।**]**

**7**–[9][ x x x ]

**जनसंख्या में परिवर्तन अथवा [11][ग्राम पंचायत] के क्षेत्र को म्युनिसिपैलिटीज, आदि में सम्मिलित हो जाने का प्रभाव**

**8**–यदि किसी [10][ग्राम पंचायत] का सम्पूर्ण क्षेत्र किसी [11][नगर म्युनिसिपैलिटी] कैन्टोनमेन्ट, नोटीफाइड एरिया का टाउन एरिया में सम्मिलित कर लिया जाय, तो ग्राम सभा न रह जायगी और उसकी परिसम्पत्ति तथा दायित्व नियत रीति से निस्तारित किये जायेंगे। यदि ऐसे क्षेत्र का कोई भाग इस प्रकार सम्मिलित कर लिया जाय तो उतना लाभ उसकी अधिकारिता में से कम हो जायगा।

**प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली**

[12]**[9**–(1) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली इस अधिनियम के उपबन्धों [13][और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार] राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन, तैयार की जाएगी।

[14][(1–क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य में निर्वाचन नामावलियों के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उससे संबंधित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 8 द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1969 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 9(क)(एक) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 9(क)(दो) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 9(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1969 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 9 द्वारा निकाला गया।
10. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
11. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
12. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
13. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 4(क) द्वारा बढ़ाया गया।
14. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 4(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

(1–ख) निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी रीति से की जायेगी जैसी नियत की जाय।.][1]

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचक नामावली नियत रीति से प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिए जाने पर वह [2][इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार] किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।

(3) उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिससे उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, उस प्रदेशिक निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

**स्पष्टीकरण –**

(एक) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास–गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जाएगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(दो) अपने मामूली निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझा जायगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी रहा।

(तीन) संसद या राज्य के विधान मण्डल के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जाएगा।

(चार) यह विनिश्चित करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाय, विचार किया जाएगा।

(पांच) यदि किसी मामलें में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से कहां का निवासी है, तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जाएगा।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्ह होगा, यदि वह–

(क) भारत का नागरिक न हो; या

(ख) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या

(ग) निर्वाचनों सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

(5) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अनर्ह हो जाय, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जायेगा जिसमें वह दर्ज है :–

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचन नामावली से काट दिया गया हो, उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जायगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 4 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 4(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक हो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(7) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, म्युनिसिपैलिटी या छावनी से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो जब तक कि वह यह प्रदर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

(8) जहां निर्वाचक [1][रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी] का, चाहे उसको दिए गये किसी आवेदन–पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्द्धित किया जाना चाहिए, वहां वह इस अधिनियम और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन, किसी प्रविष्टि का यथास्थिति सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा–

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधारा, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन को उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(9) राज्य निर्वाचन आयोग, यदि वह सामान्य या उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षिण करने का निदेश दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इन अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिए जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी जब कि कि इस प्रकार निदेशित विशेष पुनरीक्षण पूरा न हो जाए।

(10) [2][जहां तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, राज्य निर्वाचन आयोग], आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध बना सकता है, अर्थात–

(क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने क दिनांक और उसके प्रवर्तन की अवधि ;

(ख) निर्वाचक नामावली के सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन–पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि ;

(ग) निर्वाचन नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों की शुद्धि ;

(घ) निर्वाचक नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना –

(एक) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो या जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में गलती से सम्मिलित किया गया हो, या

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 2004 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 4(घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

(दो) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो ;

(ङ) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण ;

(च) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन–पत्र पर देय फीस ;

(छ) निर्वाचन नामावलियां तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सामान्यतया सभी विषय।

(11) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन, आयोग, किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिए, तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है जहां तक उसका सम्बन्ध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र से हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए नाम–निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(12) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता न होगी –

(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नहीं ; या

(ख) निर्वाचन नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गई किसी कार्यवाही [1][या इस निमित्त नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय] की वैधता पर आपत्ति करना।

**मत देने इत्यादि का अधिकार**

**9–क**–इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी [2][ग्राम पंचायत के किसी] प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, ग्राम पंचायत [3][x x x] में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नाम–निर्देशन या नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होगा :

[4][प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो किसी ग्राम पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 4(ङ) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 5(क) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 4 द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।

**गांव सभा स्थापित करने और गांव पंचायत के कार्यकरण में उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर किया जाना**

**10**–यदि कोई ग्राम सभा स्थापित करने में या किसी ग्राम पंचायत के कार्यकरण में, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के निर्वाचन अथवा ऐसे निर्वचन से या उसके सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी विषय के या किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिये इस अधिनियम में व्यवस्था न हो, कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका उस पर दिया गया निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा।

## अध्याय 3

## ग्राम सभा–उसकी बैठकें तथा कृत्य

[1][**ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य** ]

[2][**11**–(1) प्रत्येक गांव सभा की प्रतिवर्ष दो सामान्य बैठकें होंगी, एक बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरन्त बाद (जो एतद्पश्चात् खरीफ की बैठक कही जायेगी) और दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरन्त बाद (जो एतद्पश्चात् रबी की बैठक कही जायगी) [3][जिनकी अध्यक्षता सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी।]

प्रतिबन्ध यह है कि प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किये जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या के कम से कम एक बटा पांच की मांग पर, ऐसी मांग के दिनांक से तीस दिन के भीतर किसी भी समय एक असाधारण सामान्य बैठक बुला सकता है। गांव सभा की समस्त बैठक का समय और स्थान नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रधान यथा पूर्वोक्त बैठक बुलाने में चूक करे तो नियत प्राधिकारी नियत की जाने वाली अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुला सकता है।

(2) गांव सभा की किसी बैठक के लिये गणपूर्ति की संख्या सदस्यों की संख्या की एक बटा पांच होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिये गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।

[4][(3) ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकती है –

(क) ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की प्रशासन की रिपोर्ट और अन्तिम लेखा परीक्षा टिप्पणी और उस पर दिए गए, उत्तर, यदि कोई हो ;

(ख) पूर्ववर्ती वर्ष से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लिए जाने के लिए प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की रिपोर्ट;

(ग) ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि;

(घ) ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम ;

(ङ) ऐसे अन्य मामले जैसे नियत किए जाएं।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 12(क) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 12(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 12(ग) द्वारा बढ़ाया गया।

(4) ग्राम पंचायत ग्राम सभा की सिफारिशों और सुझावों पर सम्यक् विचार करेगी।

(5) ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् –

(क) सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना ;

(ख) ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान।

(ग) ग्राम से सम्बन्धित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना।

## [1][अध्याय 3–क

## ग्राम पंचायत]

**ग्राम पंचायत का प्रधान और [2][ x x x ]**

[3][**11**–क [4][(1) ग्राम पंचायत का एक प्रधान [4][ x x x ] होगा, जो उसका अध्यक्ष होगा।]

(2) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़ वर्गों के लिए आरक्षित करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथाशक्य वहीं होगा, जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जन–जातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[5][प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।]

(3) उपधारा (2) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून पद यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

(4) प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक–तिहाई से अन्यून पद, जिसमें उपधारा (3) के अधीन आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

(5) इस धारा के अधीन आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न–भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में , जैसा नियत हो, आवंटित किए जायेंगे।

(6) इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों के लिए प्रधानों के पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

**स्पष्टीकरण**–यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी।]1

**प्रधान का निर्वाचन**

2[**11**–ख (1) ग्राम पंचायत का प्रधान, किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से, निर्वाचित किया जाएगा।

(2) यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में, प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के दो–तिहाई से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, या तो –

(एक) प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचत किए जाने के लिए, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, अर्ह व्यक्ति होंगे, या

(दो) प्रशासक नियुक्त कर सकता है।

(3) प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छः मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि राज्य सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट करें, पद धारण करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासकों की नियुक्ति पर, ऐसी नियुक्ति के पूर्व ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के रूप में चुने गए व्यक्ति, यदि कोई हो, ऐसे प्रधान या यथास्थिति सदस्य नहीं रह जायेंगे और ग्राम पंचायत, इसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक समिति का प्रशासक सम्यक् रूप से संघटित ग्राम पंचायत समझी जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि ग्राम पंचायत के सम्यक् रूप से संघटित किए जाने में कोई कठिनाई नहीं है, राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि जिस अवधि के लिए प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त किया गया था समाप्त नहीं हुई है, राज्य चुनाव आयोग को ग्राम पंचायत संघटित करने के लिए निर्वाचन कराने का निदेश दे सकती है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रधान की पदावधि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।

**11–**ग– [1][ x x x ]

[2][**11–**घ–कोई व्यक्ति एक साथ– **कतिपय पदों को एक साथ धारण करने का प्रतिबन्ध**

(क) ग्राम पंचायत का प्रधान [3][ x x x ] न होगा, या

(ख) एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का सदस्य न होगा, या

(ग) ग्राम पंचायत का सदस्य [3][ x x x ] न होगा, या

(घ) एक से अधिक ग्राम पंचायतों [3][ x x x ] में कोई पद धारण न करेगा;

और किसी व्यक्ति द्वारा जो ऐसे पदों को भरने के लिए चुना गया हो, जिन्हें वह एक साथ धारण न कर सकता हो एक के अतिरिक्त सभी पदों को रिक्त किये जाने की व्यवस्था नियमों में की जा सकती है।

**11**–ङ (1) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य [4][ x x x ] निर्वाचित होने या ऐसा पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह – **एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रतर रोक**

(क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या

[5][(ख) किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य, प्रमुख या उप प्रमुख है, या

(ग) किसी जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, या]

(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है।

(2) कोई व्यक्ति, यदि वाद में उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसे अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थित ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य [6][ x x x ] के पद पर नहीं रह जायगा और तदुपरान्त यथास्थिति, ऐसे प्रधान, सदस्य या पंच के पद में आकस्मिक रिक्ति ही जायेगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 4 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 5 द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 6(क) द्वारा निकाला गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 6(ख) द्वारा निकाला गया।

[1][(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पश्चात् ग्राम, खण्ड और जिला स्तर की पंचायतों को संघठित करने के लिये हुये प्रथम निर्वाचनों में यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक स्तरों की पंचायतों का सदस्य चुना जाता है, तो वह निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर या यदि उक्त दो या अधिक स्तर की पंचायतों के सम्बन्ध में निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा भिन्न–भिन्न दिनांकों को की गई है तो अन्तिम घोषणा के दिनांक से साठ दिन के भीतर एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपना त्याग–पत्र प्रस्तुत करेगा और इस तरह से त्याग–पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, जिन स्तरों की पंचायतों के लिये वह निर्वाचित हुआ है उसमें से सर्वोच्च स्तर की पंचायत में उसके स्थान को छोड़कर अन्य सभी पंचायतों में उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा।]

**पंचायत क्षेत्र की घोषणा**

[2]**[11**–च (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम या ग्रामों के समूह, जिसकी जनसंख्या, यथासाध्य, एक हजार हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को, ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाय, पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को, पंचायत क्षेत्र की घोषणा के प्रयोजनों के लिए, विभाजित नहीं किया जायगा :

[3][अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी या चमोली के पर्वतीय जिलों में इस अधिनियम की धारा 3, जैसी कि यह उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व थी, अधीन गठित किसी गांव सभा के क्षेत्र को यद्यपि ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या एक हजार से कम हो, राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है।]

(2) राज्य सरकार, संघटित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय –

(क) किसी पंचायत क्षेत्र के क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकाल कर, परिष्कार कर सकती है ;

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम में परिवर्तन कर सकती है ; या

(ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।

**ग्राम पंचायत**

[4]**[12**–(1) (क) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचाचत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संघटित की जायगी।

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय होगी।

(ग) किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जिसकी जनसंख्या –

(एक) [5][एक हजार तक] हो, नौ सदस्य होंगे ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 8(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(दो) एक हजार से अधिक किन्तु दो हजार से अनधिक हो, ग्यारह सदस्य होंगे, या

(तीन) दो हजार से अधिक किन्तु तीन हजार से अनधिक हो, तेरह सदस्य होंगे; या

(चार) तीन हजार से अधिक हो, पन्द्रह सदस्य होंगे ।

(घ) ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जायगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो।

(ङ) ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्राम पंचायत में एक सदस्य द्वारा किया जायगा।

[1][(च) किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नियत रीति से किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में नियम भूतलक्षी प्रभाव से, किन्तु उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से पूर्व में नहीं, बनाये जा सकते हैं।]

(2) [2][x x x ]

(3) (क) कोई ग्राम पंचायत, जब तक कि उसे धारा 95 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन पहले ही विघटित न कर दिया जाय, अपनी प्रथम बैठक के लिये नियत दिनांक से पांच वर्ष तक, न कि उससे अधिक, बनी रहेगी।

(ख) किसी ग्राम पंचायत के संघटन के लिये निर्वाचन –

(एक) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ;

(दो) उसके विघटन के दिनांक से छः मास के अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कराया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विघटित ग्राम पंचायत की शेष अवधि जब तक कि ग्राम पंचायत बनी रह सकती थी, छः मास से कम हो, वहां ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिये इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(ग) किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विघटन पर संघटित की गई ग्राम पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिये, जिस अवधि तक विघटित ग्राम पंचायत खण्ड (क) के अधीन बनी रहती, यदि उसे इस प्रकार विघटित समझा जायगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो :

(घ) ग्राम पंचायत का संघटन ऐसी रीति से अधिसूचित किया जायगा जो नियत की जाय और तदुपरान्त ग्राम पंचायत को सम्यक् रूप से संघटित समझा जायगा, भले ही उसमें कोई रिक्ति हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायत के संघटत को तब तक इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जायेगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान और कम से कम दो तिहाई सदस्य निर्वाचित न हो जाय।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 8(क)(2) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 8(ख) द्वारा निकाला गया।

[1][(**3**–क) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी, जहां, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण या लोक हित में किसी ग्राम पंचायत का संघटन करने के लिए उसके कार्यकाल के अवसान के पूर्व निर्वाचन कराना साध्य नहीं है, वहां राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, प्रशासनिक समिति, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे, वह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक, नियुक्त कर सकता है और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छह मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, पदधारण करेगा और ग्राम पंचायत, उसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्त्तव्य, यथास्थिति, ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक के निहित होंगे और उनके द्वारा उनका प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किया जायगा।]

(4) ग्राम पंचायत के किसी सदस्य का कार्यकाल, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न का दिया जाय, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायेगा।

(5) (क) प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, ग्राम पंचायत में स्थानों की कुल संख्या में यथाशक्य वही होगा जो पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जन–जातियों की या पंचायत क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाय :

> प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :
>
> [2][अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़ें उपलब्ध न हों तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।]

(ख) खण्ड (क) के अधीन आरक्षित स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए, किसी ग्राम पंचायत में कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में में ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे, जैसा नियत किया जाय।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2000 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 8(ग) द्वारा बढ़ाया गया।

**स्पष्टीकरण :** यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों और महिलाओं को अनारक्षित स्थानों से निर्वाचन लड़ने से नहीं रोकेगी।

(6) प्रधान को ग्राम पंचायत का सदस्य समझा जायेगा।][1]

**निर्वाचन की रीति**

**[12**–क– [3][x x x] प्रधान [2][x x x] अथवा ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन नियत रीति से गुप्त मत पत्र द्वारा होगा।]

**प्रधान, [2][x x x] और सदस्य के भत्ते**

[4]**[12**–कक–(1) ग्राम पंचायत का प्रधान और [2][x x x] ऐसे भत्ते और मानदेय, जैसा कि नियत किया जाय, प्राप्त करेगा।

(2) प्रधान और [2][x x x] के भिन्न ग्राम पंचायत का सदस्य ऐसे भत्तों को, जैसा नियत किया जाय, प्राप्त करेगा।**]**

**ग्राम पंचायत की बैठकें**

[5]**[12**–ख–(1) कार्य सम्पादन के लिये, ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतया प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो मास का अन्तर नहीं होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक के लिए नियत किया जाने वाला दिनांक उसके संघठन के दिनांक से तीस दिन के भीतर होगा।

(2) ग्राम पंचायत की बैठकें ऐसे स्थान पर, और ऐसी रीति से, आयोजित की जायेंगी, जैसी नियत की जाय।**]**

**ग्राम पंचाचत के निर्वाचनों का अधीक्षण इत्यादि**

[6]**[12**–खख–(1) ग्राम पंचायत के प्रधान, [2][x x x] और सदस्यों के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।**]**

[7][(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य में प्रधान, [2][x x x] या किसी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के पद पर निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण और उससे संबंधित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।]

[8][(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, [2][x x x] या सदस्यों के सामान्य निर्वाचन या उप–निर्वाचन के लिये दिनांक या दिनांकों को नियत करेगी।

**निर्वाचन कराने से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध**

**12**–खग–[9][(1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट जिले में ग्राम पंचायतों के प्रधान, [2][x x x] और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 2 द्वारा हटाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 18 द्वारा हटाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 2001 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 9 द्वारा पुर्नसंख्याकित तथा बढ़ाया गया।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 22, 2000 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
9. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 22(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रबन्धाधिकरण जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, उसे अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन अधिकारों के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करेगा जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हो।

(3) इसी प्रकार [1][राज्य निर्वाचन आयोग] राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं के प्रबन्धाधिकरणों से उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक हों और वे प्रत्येक ऐसी अधियाचना का पालन करेंगे।

(4) यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था का कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाय तो वह ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

**परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिये अधिग्रहण**

[2][**12—खगक**—(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि जिले के भीतर इस अधिनियम के अधीन होने वाले किसी निर्वाचन के संबंध में—

(क) इस प्रयोजन के लिए कि उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियों को रखने के लिये उपयोग किया जाय, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी सांभाव्य है, अथवा

(ख) किसी मतदान स्थल से या की मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिये या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्त्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, तो वह ऐसे परिसर या, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा, और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु, जिसे उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन के संसक्त किसी प्रयोजन के लिये विधि पूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिगृहीत न किया जायगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा जिसकी बावत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि वह उस सम्पत्ति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश को उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह संबोधित है, विहित रीति में की जायेगी।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस करावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिये ऐसी संपत्ति उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिये अपेक्षित है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 22(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

(4) इस धारा में,–

(क) ''परिसर'' से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है,

(ख) ''यान'' से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है, या उपयोग में लाए जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नीहित हो या न हो।

**प्रतिकर का संदाय**

**12–खगख**–(1) जहां धारा 12–खगक के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट प्रतिकर का किसी परिसर का अधिग्रहण करे, तब हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा, अर्थात्–

(i) परिसर की बावत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिए वेग भाटक,

(ii) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास स्थान या कारबार के स्थान को बदलने के लिये विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) :

परन्तु जहां कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे अवधारित की रकम से व्यथित होते हुए जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाये वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहां प्रतिकर पाने के हक की बावत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की बावत कोई विवाद है वहां अवधारण के लिये उसे जिला मजिस्ट्रेट अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगा और यह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

**स्पष्टीकरण**–इस उपधारा में ''हितबद्ध व्यक्ति'' पद से वह व्यक्ति, जो धारा 12–खगक के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहितपूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहां कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है।

(2) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 12–खगक के अनुसरण में अधिगृहीत करे जब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा जिसकी रकम का अवधारण  जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु को भाड़े पर लेने के लिये उस परिक्षेत्र में प्रचालित भाड़े या दरों के आधार पर करेगा :

परन्तु जहां कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुये जिला मजिस्ट्रेट से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाये वहां दिये जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और जो कि जहां अधिगृहीत किए जाने से अव्यवहितपूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवक्रय करार के आधार पर या वहां अधिग्रहण के बारे में संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में, जिसके लिये वे सहमत हो जायें, और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अभिनिश्चित करे, प्रभावित की जायेगी।

**जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति**

**12–खगग**–जिला मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति की धारा 12–खगक के अधीन अधिगृहीत करने की या धारा 12–खगख के अधीन संदेय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी संपत्ति संबंधी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे प्राधिकारी को दे जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जायें।

**किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियां**

**12–खगघ**–(1) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिसर, किसी यान, जलयान या जीवजन्तु के संबंध में धारा 12–खगक के अधीन आदेश किया जाये और यदि किया जाए तो सि रीति में किया जाये या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये कोई व्यक्ति, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें कि किसी यान, जलयान जीवजन्तु का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) इस धारा में ''परिसर'' तथा ''यान'' पदों के वही अर्थ है, जो धारा 12–खगक में है।

**अधिगृहीत परिसर से बेदखली**

**12–खगङ**–(1) जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत परिसर पर धारा–12 खगक के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कब्जा किए रहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा।

(2) ऐसे सशक्त कोई अधिकारी ऐसी किसी स्त्री की, जो लोक समक्ष नहीं आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिये सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिये कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा।

**अधिग्रहण से परिसर को निर्मुक्ति**

**12–खगच**–(1) जब कि धारा 12–खगक के अधीन अधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त किये जाने हों, तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किये जाने के समय कब्जा लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति की, जिसकी बावत जिला मजिस्ट्रेट यह समझता है, कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जायेगा, और कब्जे का ऐसे परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के बारे में हैं, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा, किन्तु उससे परिसर की बावत ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है विधि की सम्यक् प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिये हकदार हो।

(2) जहां कि वह व्यक्ति, जिसे धारा 12–खगक के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उपधारा (1) के अधीन दिया जाना है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदान प्रतिगृहीत करने के लिये सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाली सूचना कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिये गये हैं ऐसे परिसर के किसी सहज दृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अध्यधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख की ओर से न रहेंगे और उनकी बावत यह समझा जायगा कि वे उस व्यक्ति की परिदत्त कर दिये गये हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और जिला मजिस्ट्रेट उक्त तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिये ऐसे परिसर के संबंध में किसी प्रतिकर या अन्य दवे के लिए दायित्वाधीन न होगा।][1]

**निर्वाचन के संबंध में पदीय कर्त्तव्य भंग**

**12–बीडी**–(1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती हो, अपने पदीय कर्त्तव्य भंग करने में, युक्तियुक्त कारण बिना किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो उसे अर्थ दण्ड दिया जा सकेगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

(3) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य के संबंध में हानिपूर्ति के लिये किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत न की जा सकेगी।

(4) जिन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है वे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, मतदान अध्यक्ष, मतदान अधिकारी और कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जो नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति या उम्मीदवार से नाम वापिस लेने या किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित या उनकी गणना करने के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया जाय और इस धारा के प्रयोजनार्थ पत्र पद 'पदीय कर्त्तव्य' का तद्नुसार अर्थ लगाया जायगा, किन्तु इसके अन्तर्गत इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन किये गये कर्त्तव्यारोपण से अन्यथा आरोपित कर्त्तव्य नहीं है।][2]

**निर्वाचनों पर आपत्ति करने के लिए आवेदन पत्र**

[3][**12ग**–(1) [4][x x x] किसी व्यक्ति का निर्वाचन प्रधान के रूप में अथवा ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में [5][x x x] भी है, सिवाय किसी ऐसे आवेदन–पत्र द्वारा जो ऐसे प्राधिकारी को, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, प्रस्तुत किया जाय, निम्नलिखित आधार पर आपत्ति न की जायगी कि–

(क) यह निर्वाचन इस कारण निर्वाध निर्वाचन नहीं है कि इसमें रिश्वत अथवा अनुचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था, अथवा

(ख) निर्वाचन के परिणाम पर–

(1) किसी नाम–निर्देशन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने से अथवा

(2) इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन करने में घोर चूक किये जाने से, सारवान प्रभाव पड़ा है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निम्नलिखित रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे,

(क) (1) रिश्वत, अर्थात,–

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 31, 1972 की धारा 3 द्वारा अन्तर्विष्ट।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 23 द्वारा हटाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 7 द्वारा निकाला गया।

(क) किसी व्यक्ति का उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े होने या खड़े न होने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिये, या

(ख) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिये–

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से या किसी व्यक्ति को इस बात के लिये कि–

(1) यह इस प्रकार खड़ा हुआ या खड़ा नहीं हुआ या उसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस न लिया ; या

(2) किसी निर्वाचक की इस बात के लिये कि उसने मतदान किया या वह मतदान करने से विरत रहा,

पुरस्कार स्वरूप उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की, चाहे वह कोई भी क्यो न हो, कोई उपहार या कोई पारितोषण अर्पण का प्रस्ताव करना या वचन देना,

(ख) अनुचित प्रभाव डालना अर्थात् निर्वाचन संबंधी किसी अधिकार के निर्वाध प्रयोग में उम्मीदवार की ओर से या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का किया गया प्रयत्न :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति हो उसमें निर्दिष्ट हो और जो–

(1) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या किसी व्यक्ति को जिसमें उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध हो, किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और जाति अथवा समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन भी है, देता है ; या

(2) उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिये उत्प्रेरित करता है, या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जायेगा या बना दिया जायेगा, उसके संबंध में यह समझा जायेगा कि वह ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के निर्वाचन संबंधी अधिकार के निर्वाध प्रयोग में इस खण्ड के अर्थान्तर्गत हस्तक्षेप करता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन–पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें ऐसे व्यौरे होंगे जो नियत किये जायं।

**स्पष्टीकरण**–कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाचन में नाम–निर्देशन पत्र निदेशित किया हो, चाहे ऐसा नाम–निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो, निर्वाचन में उम्मीदवार समझा जायेगा।

(4) उस प्राधिकारी को, जिसे उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जाय–

(1) आवेदन–पत्र की सुनवाई करने और ऐसी सुनवाई में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया,

(2) निर्वाचन को रद्द करने या निर्वाचन को अमान्य घोषित करने या आवेदक को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करने या किसी अन्य उपशम, जो आवेदक को प्रदान किया जाय, के विषय में ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियत किये जायं।

(5) उपधारा (4) के अधीन नियत की जाने वाली शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र की सरसरी तौर पर सुनवाई करने और उसे निस्तानित करने के लिये नियमों में व्यवस्था की जा सकती है।

[(6) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर जिला न्यायधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर सकता है, अर्थात :–

(क) विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है ;

(ख) विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है ;

(ग) विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया है।

(7) जिला न्यायाधीश पुनरीक्षण के लिये आवेदन–पत्र का निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश, को निस्तारण के लिये सौंप सकता है और उसे किसी ऐसे अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसी अन्य ऐसे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

(8) उपधारा (7) में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी नियत की जाय, और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें फेर–फार या उसे विखण्डित कर सकता है या मामले को पुनः सुनवाई के लिये विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सकता है, और उस पर विनिश्चय होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जैसा उसे न्यायसंगत और सुविधाजनक प्रतीत हो।

(9) इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय और इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय, अन्तिम होगा।]¹

**12-घ.** ²[ x x x ]

**पद की शपथ**

³[**12ङ**–(1) ⁴[ प्रत्येक व्यक्ति] धारा 11–क, 12, 43 या 44 में अभिदिष्ट किसी पद पर आसीन होने के पूर्व, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जिसे नियत किया जाय नियत प्रपत्र लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।**]**

(2) किसी ऐसे सदस्य के संबंध में, जो यथा पूर्वोक्त शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने से अस्वीकार करे या अन्य प्रकार से इन्कार करे यह समझा जायेगा, कि उसने पद को तत्क्षण रिक्त कर दिया है।

**पदत्याग**

³[**12च**–ग्राम पंचायत का प्रधान, ⁵[x x x] या कोई सदस्य ऐसे प्राधिकारी को, जो नियत किया जाय, संबोधित स्वहस्तक्षारित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और तदुपरान्त उसका पद रिक्त हो जायेगा।**]**

**12-छ.** ⁶[ x x x ]

**आकस्मिक रिक्ति**

⁷[**12ज**–यदि ग्राम पंचायत के प्रधान, ⁵[x x x] या किसी सदस्य का पद उसके मृत्यु हो जाने, उसे हटाने जाने, उसके पद त्याग करने उसके निर्वाचन के अभिशून्य होने या उसके पद की शपथ लेने से इंकार करने के कारण रिक्त हो जाय तो यथासंभव उसे ऐसी रिक्ति के दिनांक से छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, उसके शेष कार्यकाल के लिये यथास्थिति धारा 11–ख, 11–ग, या 12 में उपबन्धित रीति से भरा जायेगा :

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 8 द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 25 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 26 द्वारा निकाला गया।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी रिक्ति होने के दिनांक को ग्राम पंचायत की शेष अवधि छः मास से कम हो, तो रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायेगी।

**निर्वाचन सम्बन्धी विषयों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक**

[1] **[12झ**–इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में की गई किसी कार्यवाही या दिए गए किसी निर्णय की वैधता के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय की आपत्ति करने की अधिकारिता न होगी।**]**

**प्रधान के पद की अस्थायी रिक्ति में प्रबन्ध**

[2]**[12ञ**–जब प्रधान का पद मृत्यु हो जाने, हटाये जाने या त्याग–पत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो, या जब प्रधान अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो विहित प्राधिकारी प्रधान के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने और उसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को तब तक के लिए नाम–निर्दिष्ट कर सकता है जब तक कि प्रधान के पद पर ऐसी रिक्ति भरी नहीं जाती है या जब तक कि प्रधान की ऐसी असमर्थता समाप्त नहीं हो जाती है।**]**

[3]**[12ट**–[ x x x ]

[3]**[13**–[ x x x ]

**प्रधान [4][ x x x ] का हटाया जाना**

[5]**[14**–(1) ग्राम सभा ऐसी बैठक में जो इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाये जाये और जिसकी कम से कम पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना दी जाय, ग्राम सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत से प्रधान को हटा सकती है।

(1–क) धारा 11 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन किसी बैठक के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों से होगी।**]**

(2) प्रधान को हटाने के लिए कोई बैठक उसके निर्वाचन से [6]**[**दो वर्ष**]** के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

(3) यदि बैठक में गणपूर्ति के अभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार न किया जाय अथवा वह अपेक्षित बहुमत न होने के कारण पारित न हो पाये तो उसी प्रधान को हटाने के लिए बाद में कोई बैठक पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक से [7]**[**एक वर्ष**]** के भीतर नहीं बुलाई जायेगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 2, 1955 की धारा 14 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 26 द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 2001 की धारा 4(क) निकाला गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 2001 की धारा 4(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1998 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 24, 2001 की धारा 4(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह प्रक्रिया भी है जो बैठक में अनुसारित की जाय, वही होगी जो नियत की जाय।]

**14-क**–वहिर्गमी प्रधान का गांव सभा के अभिलेख तथा धनराशि देने का दायित्व–

**[1][अभिलेख आदि देने में चूक करने पर दण्ड]**

[2][(1) यदि कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्य की समाप्ति पर ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख धनराशि या अन्य सम्पत्ति अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किये जाने पर भी जान–बूझकर चूक करता है तो वह कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, के जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।]

[3][(2) उपधारा (1) के प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसी धनराशि नियत प्राधिकारी द्वारा तदर्थ जारी किए गए प्रमाण–पत्र पर भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।]

**14-ख**–[4][ x x x ]

## अध्याय 4

## ग्राम पंचायत की शक्तियां, कर्त्तव्य, कृत्य तथा प्रशासन

**ग्राम पंचायत के कृत्य**

[5]**[15**-ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी राज्य सरकार, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे प्रत्येक ग्राम पंचायत निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्,–

(एक) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है ;

(क) कृषि और बागवानी का विकास और प्रोन्नति;

(ख) बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास और उनके अनाधिकृत संक्रमण और प्रयोग की रोकथाम करना।

(दो) भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण,–

(क) भूमि विकास, भूमि सुधार और भूमि संरक्षण में सरकार और अन्य एजेंसियों की सहायता करना।

(ख) भूमि चकबन्दी में सहायता करना।

(तीन) लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास।

(क) लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण में प्रबन्ध और सहायता करना।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 37, 1978 की धारा 12(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 6, 2017 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1973 की धारा 6 द्वारा अन्तर्विष्ट।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 44, 2007 की धारा 6 द्वारा हटाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, सिंचाई के उद्देश्य से जलापूर्ति का विनियमन।

(चार) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन ;

(क) पालतू जानवरों, कुक्कुटों और अन्य पशुधनों की नस्ली का सुधार करना।

(ख) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन, सूअर पालन इत्यादि की प्रोन्नति।

(पांच) मत्स्य पालन ;

गांवों में मत्स्य पालन का विकास।

(छः) सामाजिक और कृषि वानिकी :

(क) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण।

(ख) सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नति।

(सात) लघु वन उत्पाद :

लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास।

(आठ) लघु उद्योग :

(क) लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना।

(ख) स्थानीय व्यापारों की प्रोन्नति।

(नौ) कुटीर और ग्राम उद्योग :

(क) कृषि और वाणिज्यिक उद्योगों के विकास में सहायता करना।

(ख) कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति।

(दस) ग्रामीण आवास :

(क) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

(ख) आवास स्थलों का वितरण और उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

(ग्यारह) पेय जल :

पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए, जल सम्भरण के लिए सार्वजनिक कुंओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजनों के लिए जल सम्भरण के स्रोतों का विनियमन।

(बारह) ईंधन और चारा भूमि :

(क) ईंधन और चारा भूमि से सम्बन्धित घास और पौधों का विकास :

(ख) चारा भूमि के अनियमित अन्तरण पर नियंत्रण।

(तेरह) सड़कें, पुलिया, पुलों, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन :

(क) ग्राम की सड़कों, पुलियों, पुलों और नौकाघाटों का निर्माण और अनुरक्षण।

(ख) जलमार्गों का अनुरक्षण।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना।

(चौदह) ग्रामीण विद्युतीकरण :

सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना ;

(पन्द्रह) गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत :

ग्राम में गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण।

(सोलह) गरीबी उपशमन कार्यक्रम :

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन।

(सत्रह) शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालय भी है :

शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना।

(अट्ठारह) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा :

ग्रामीण कला और शिल्पकारों को प्रान्नति।

(उन्नीस) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा :

प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति।

(बीस) पुस्तकालय :

पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना का अनुरक्षण ;

(इक्कीस) खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य :

(क) सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया–कलापों की प्रोन्नति।

(ख) विभिन्न त्योहारों पर सांस्कृतिक संगोष्ठियों का आयोजन।

(ग) खेलकूद के लिए ग्रामीण क्लबों की स्थापना और अनुरक्षण।

(बाईस) बाजार और मेले :

पंचायात क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन।

(तेईस) चिकित्सा और स्वच्छता :

(क) ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति।

(ख) महामारियों के विरुद्ध रोकथाम।

(ग) मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम।

(घ) छुट्टा पशु और पशुधन के विरुद्ध निवारक कार्यवाही।

(ङ) जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण।

(चौबीस) परिवार कल्याण :

परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन।

(पच्चीस) आर्थिक विकास के लिए योजना :

ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना।

(छब्बीस) प्रसूति और बाल विकास :

(क) ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना।

(ख) बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों की प्रोन्नति।

(सत्ताईस) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है :

(क) वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना।

(ख) विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रमों में भाग लेना।

(अट्ठाइस) कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों का कल्याण :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना।

(ख) समाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयारी और कार्यान्वयन।

(उनतीस) सार्वजनिक वितरण प्रणाली :

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में सार्वजनिक चेतना को प्रोन्नति।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण।

(तीस) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण :

सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और अनुरक्षण।

**योजना का तैयार करना**

[1]**[15**–क–ग्राम पंचायत प्रति वर्ष पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी और उसे सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत को ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे प्रारूप और रीति में जैसी नियत की जाय, प्रेषित करेगी।**]**

**कृत्य जो कि किसी ग्राम पंचायत को समनुदेशित किये जा सकते हैं**

**[16**–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जायें, निम्नलिखित में से या सभी कृत्यों को ग्राम पंचायतों को समनुदेशित कर सकती है, अर्थात् :–

(क) पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी वन की व्यवस्था और अनुरक्षण;

(ख) पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित सरकार की बंजर भूमि, चारागाह भूमि या खाली पड़ी भूमि की व्यवस्था;

(ग) किसी कर या भू–राजस्व का संग्रह और सम्बन्धित अभिलेखों का अनुरक्षण।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित।

**अधिकारिता के बाहर के संगठनों आदि को अंशदान देने की शक्ति**

[1]**[16**–क–[2][ग्राम पंचायत] की अधिकारिति के बाहर के ऐसे संगठनों, संस्थाओं एवं कृत्यों के लिए अंशदान के रूप में ऐसी धनराशियाँ दे सकती हैं जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमति दे।**]**

**सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों की शक्ति**

**17**–ग्राम पंचायत का अपनी अधिकारिता के भीतर स्थिति ऐसी समस्त सार्वजनिक सड़कों, नादर्न इण्डिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा परिभाषित नहरों से भिन्न ऐसे जलमार्गों पर जो निजी सड़क अविा जलमार्ग न हो और जो राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी के नियन्त्रण में न हो, नियन्त्रण होगा और वह उसके अनुरक्षण और मरम्मत के लिये समस्त आवश्यक कार्य कर सकती है और –

(क) नए पुलों अथवा पुलियों का निर्माण कर सकती है;

(ख) किसी सार्वजनिक सड़क, पुलिया अथवा पुल को दूसरी दिशा में मोड़ सकती है, विरसित कर सकती है या उसे बन्द कर सकती है ;

(ग) पास–पड़ोस के खेतों को न्यूनतम क्षति पहुँचाकर किसी सार्वजनिक सड़क, पुलिया अथवा पुल को चौड़ा कर सकती है, उसे खोल सकती है, उसका विस्तार कर सकती है अथवा उसमें अन्य प्रकार से सुधार कर सकती है ;

(घ) जल–मार्गों को गहरा कर सकती है अथवा उसका अन्य प्रकार से सुधार कर सकती है;

[3][(ङ) नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से और जहाँ नादर्न इण्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 (1873 का ऐक्ट सं0 8) के अधीन कोई नहर विद्यमान हो तो सिंचाई विभाग के ऐसे अधिकारी की स्वीकृति से भी, जिसे राज्य सरकार नियत करे, धारा 15 के खण्ड (यू) के अधीन आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट लघु सिंचाई प्रयोजनाओं के अतिरिक्त लघु सिंचाई प्रयोजनायें प्रारम्भ कर सकती है] ;

(च) सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई किसी झाड़ी या किसी वृक्ष की किसी शाखा को काट सकती है;

(छ) किसी सार्वजनिक जलमार्ग को पीने अथवा पाक क्रिया सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए पृथक् किया जाना अधिसूचित कर सकती है और स्नान करने, कपड़ा धोने और पशुओं के नहलाने अथवा ऐसे अन्य कार्यों के लिए किए जाने का जिनसे इस प्रकार पृथक् किए गए जलमार्ग के दूषित होने की संभावना हो, प्रतिषेध कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना खण्ड (छ) के अधीन कोई ऐसी बात न की जायेगी जिसका प्रभाव नादर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 (1873 का ऐक्ट सं0 8) द्वारा शासित नहर पर पड़े।

**सफाई का सुधार**

**18**–सफाई के सुधार के लिए ग्राम पंचायत नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी अथवा अध्यासी को, उसकी वित्तीय स्थिति का विचार करते हुए और उसे उसके पालन का यथोचित समय देकर निम्नलिखित के लिए निदेश दे सकती है :–

(क) ऐसी भूमि अथवा भवन से सम्बन्धित किसी शौचालय, मूत्रालय, नाबदान, नाली, मलकूप अथवा गलीज, सलेज–जल या मलवा या कूड़ा–करकट के अन्य पात्र को बन्द करने, हटाने, परिवर्तित करने, मरम्मत करने, साफ करने, कीटाणु रहित

1 उ0 प्र0 अधिनियम सं0 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 9, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 1965 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

करने अथवा अच्छी हालात में रखने अथवा ऐसे किसी शौचालय, मूत्रालय अथवा नाबदान, के, जो किसी सड़क या नाली को ओर खुलता हो, किसी दरवाजे या जाली को हटाने या परिवर्तित करने अथवा किसी नाली का निर्माण करने, अथवा ऐसे शौचालय, मूत्रालय अथवा नाबदान को पर्याप्त छत और दीवाल या घेरे से बन्द करने, जिससे उधर से आने–जाने वाले तथा पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति उसे न देख सकें ;

(ख) किसी निजी कुयें, तालाब, जलाशय, हौज, कुंड, मर्त्त, गड्ढे या उसमें किए गए खदान को, जो ग्राम पंचायत को पास–पड़ोस के व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर अथवा दुर्गन्धियुक्त प्रतीत हो, साफ करने, उसकी मरम्मत करने, उसे ढकने, पाटने, निस्सरित करने, गहरा करने अथवा उसका जल निकालने के लिए;

(ग) किसी वनस्पति, वृक्षों के नीचे उगी हुई झाड़ियों, नागफनी, झाड़ झंखाड़ को साफ करने के लिए ;

(घ) धूल, गोबर, मल, खाद अथवा कोई हानिकर या दुर्गन्धयुक्त पदार्थ को वहां से हटाने अथवा भूमि अथवा भवन को साफ करने के लिए :

प्रतिबन्ध यह है कि व्यक्ति जिस पर खण्ड (ख) के अधीन नोटिस तामील की जाय, नोटिस प्राप्त करने के दिनांक से 30 दिन के भीतर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को उक्त नोटिस के विरुद्ध अपील कर सकता है जो उसे बदल सकता है, रद्द कर सकता है अथवा उसकी पुष्टि कर सकता है।

**विद्यालयों तथा चिकित्सालयों का अनुरक्षण और सुधार**

**19**–(1) ग्राम पंचायत –

(क) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो पाठ्यक्रम अध्यापकों के सेवायोजन तथा अर्हता और विद्यालय के पर्यवेक्षण के संबंध में नियत किये जायं, किसी विद्यमान प्रारम्भिक विद्यालय की, जिसमें उसके भवन और फर्नीचर सम्मिलित हैं, अनुरक्षित करेगी तथा उसके समुचित कार्यकरण के लिये उत्तरदायी होगी और इसी प्रकार वह किसी नये विद्यालय को स्थापित तथा अनुरक्षित कर सकती है अथवा किसी विद्यमान विद्यालय का सुधार कर सकती है ;

(ख) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये जो स्थापना, अनुरक्षण तथा पर्यवेक्षण के संबंध में नियत किये जायें, किसी विद्यमान आयुर्वेदिक [1][होम्योपैथिक] अथवा यूनानी चिकित्सालय अथवा औषधालय को जिसमें उसके भवन और साज–सज्जा भी सम्मिलित हैं, अनुरक्षित करेगी और इसी प्रकार ऊपर उल्लिखित चिकित्सा प्रणालियों में से एक से अधिक प्रणालियों के लिये नया चिकित्सालय अथवा औषधालय स्थापित और अनुरक्षित कर सकती है।

(2) ऐसे विद्यालय, चिकित्सालय अथवा औषधालय के लिये जिला पंचायत और राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुदान दिये जायेंगे जो नियत किये जायं।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 19 द्वारा बढ़ाया गया।

**19**–क [1][x x x]

[2]**[20**–यदि पास–पड़ोस की [3][ग्राम पंचायतों] के किसी समूह के लिए प्रारम्भिक विद्यालय या आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी औषधालय न हो, अथवा उसे अपने सामान्य लाभ के लिये किसी सड़क अथवा पुल की आवश्यकता हो, तो उसकी [3][ग्राम पंचायतें] यदि नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसा निदेश दिया जाय, ऐसे विद्यालय, चिकित्सालय अथवा औषधालय को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए अथवा ऐसी सड़क अथवा ऐसे पुल को निर्मित या अनुरक्षित करने के लिए एक में सम्मिलित हो जायेंगी और उसका प्रबन्ध तथा वित्तपोषण नियत रीति से किया जाएगा। ऐसे विद्यालय, चिकित्सालय, औषधालय, सड़क अथवा पुल के लिए राज्य सरकार और जिला पंचायत द्वारा ऐसे अनुदान दिये जायेंगे जो नियत किये जायं। **[3][ग्राम पंचायतों] में किसी समूह के लिए प्रारम्भिक विद्यालय, चिकित्सालय, औषधालय, सड़क अथवा पुल की स्थापना**

**21**–यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसा नियत किया जाय और जहाँ तक व्यवहार्य हो, [4][ग्राम पंचायत] अपने क्षेत्र के भीतर किसी सरकारी सेवक को अपना कर्त्तव्य पालन करने में सहायता देगी। **सरकारी सेवकों की सहायता**

**22**–[4][ग्राम पंचायत] समुचित प्राधिकारी को – **[4][ग्राम पंचायतों] द्वारा अभ्यावेदन तथा सिफारिशें**

(क) अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों के कल्याण के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दे सकती है; और

(ख) ऐसी [4][ग्राम पंचायत] की अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले सिंचाई विभाग के पतरौल, पटवारी [5][अथवा लेखपाल, गाँव के चौकीदार] अथवा मुखिया को नियुक्त, स्थानान्तरित अथवा पदच्युत करने के संबंध में सिफारिश कर सकती है।

**23**–किसी अमीन, आदेशिका–वाहक, टीका लगाने वाले, कांस्टेबिल, [6][गाँव के चौकीदार] पटवारी, सिंचाई विभाग के पतरौल तथा नलकूप–चालक, वन–रक्षक, वन विभाग के चौकीदार, प्रारम्भिक विद्यालय के अध्यापक, काजी–हाउस रक्षक, गाँव के स्टाकमैन अथवा किसी सरकारी विभाग के चपरासी द्वारा अपने सरकारी कर्त्तव्यों के पालन में अवचार के सम्बन्ध में [4][ग्राम पंचायत] की अधिकारिता में निवास करने वाले किसी व्यक्ति से परिवाद प्राप्त होने पर ऐसी [4][ग्राम पंचायत], यदि प्रत्यक्षतः कोई साक्ष्य उपलब्ध है, उसे अपनी रिपोर्ट के साथ समुचित प्राधिकारी को भेजेगी। प्राधिकारी ऐसी अग्रेतर जाँच करने के उपरान्त, जो अपेक्षित हो, समुचित कार्यवाही करेगा और [4][ग्राम पंचायत] को उसके परिणाम की सूचना देगा। **कतिपय कर्मचारियों के अवचार के बारे में जाँच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति**

**24**–[3][ग्राम पंचायत], जैसा कि नियत किया जाय, और अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित से संविदा कर सकती है :– **स्वामियों के लिए कर तथा अन्य देयों की वसूली के लिए संविदा करने की शक्ति**

(क) राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी से राज्य या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को देय किन्हीं करों अथवा देयों की वसूली करने के लिए ऐसी वसूली का व्यय भुगतान किये जाने पर, जो नियत किया जाय, या

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 15 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1961 की अनुसूची VIII (II) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 30 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 20. द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1995 की धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(ख) राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी से किसी कार्य को ऐसे निबन्धनों पर करने के लिये जिनके संबंध में करार किया जाय।

**कर्मचारिवर्ग**

[2]**[25**–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध, किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम, निगम, विनियम, या उपविधि में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को, जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हों, ऐसे पदनाम से जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये, ग्राम पंचायतों के अधीन सेवा करने के लिए स्थानान्तरित कर सकती है और तदुपरान्त ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों की तैनाती किसी जिले की ग्राम पंचायतों में ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय।

(ख) किसी ग्राम पंचायत में इस प्रकार स्थानान्तरित और तैनात किये जाने पर कर्मचारी या कर्मचारीगण उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर, और सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य विषयों के संबंध में, जिसमें पदोन्नति भी सम्मिलित है, उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ जो ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व उन पर प्रयोज्य होते, ग्राम पंचायत के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सेवा करेंगे और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई ग्राम पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् समय–समय पर ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी नियत की जाय, नियुक्त कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी पद की सृजित नहीं करेगी।

(3) ग्राम पंचायत को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी नियत की जाय, उपधारा (2) के अधीन नियुक्त कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति होगी।

(4) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें नियत किया जाय, ग्राम पंचायत उपधारा (2) के अधीन नियुक्त कर्मचारियों पर किसी लघुदण्ड को अधिरोपित करने की शक्ति प्रधान को या अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित कर सकती है।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी कर्मचारी पर कोई दण्ड अधिरोपित करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे अधिकारी या समिति को होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(6) नियत प्राधिकारी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायं, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को एक ग्राम पंचायत से उसी जिले की दूसरी ग्राम पंचायत की स्थानान्तरित कर सकता है और राज्य सरकार, या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाय, इसी प्रकार किसी ऐसे कर्मचारी की एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित कर सकता है।

(7) [1][ x x x ]

(8) उपधारा (7) के अधीन किसी व्यक्ति को दण्ड देने, निलम्बित करने, सेवामुक्त करने, या पदच्युत करने वाले नियत प्राधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी को होगी।

**सेक्रेटरी**

[2]**[25–क–**राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाय, धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में, या उपधारा (2) में, निर्दिष्ट कर्मचारियों में से एक सेक्रेटरी नियुक्त करेगा जो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों, संबंधित ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों, जिसकी, प्रादेशिक सीमाओं के भीतर ऐसी ग्राम पंचायतें रिक्त हों, के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगा, और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा, या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सशक्त करे, विनिर्दिष्ट किए जायं।]

**पृथक्–पृथक् सदस्यों का अधिकार**

**26**–ग्राम पंचायत का सदस्य किसी बैठक में कोई संकल्प प्रस्तुत कर सकता है और प्रधान या [3][x x x] से [4][ग्राम पंचायत] के प्रशासन से सम्बन्धित विषयों के सम्बन्ध में प्रश्न नियत रीति से पूछ सकता है।

**अधिभार**

**27**–(1) प्रत्येक [4][ग्राम पंचायत] का, प्रधान या [3][x x x], इस अधिनियम के अधीन संघटित [4][ग्राम पंचायत] या संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य और [5][ग्राम पंचायत के धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसके ऐसा प्रधान या सदस्य होने की अवधि में उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ हो।] :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन के होते से दस वर्ष की समाप्ति या उस दिनांक से जब देनदार व्यक्ति अपने पद पर न रह जाय पांच वर्ष की समाप्ति, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के पश्चात् ऐसा दायित्व समाप्त हो जायेगा।

(2) नियत प्राधिकारी उस प्रक्रिया के अनुसार जो नियत की जाय, अधिभार की धनराशि निश्चित करेगा और कलेक्टर को उस धनराशि का प्रमाण–पत्र भेजेगा जो यह समाधान हो जाने पर कि धनराशि देय है, उसे भू–राजस्व की बकाया की भाँति वसूल करेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 10 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) अधिभार की धनराशि नियत करने के नियत प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर राज्य सरकार या ऐसे अन्य अपील प्राधिकारी, को, जो नियत किया जाय और आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है।

(4) जहाँ उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिभार नियत करने और उसे वसूल करने की कार्यवाही न की जाय, वहां राज्य सरकार देनदार व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के प्रतिकर के लिये वाद संस्थित कर सकती है।][1]

**सदस्य तथा सेवक लोक सेवक होंगे**

**28**–(1) इस अधिनियम के अधीन संघटित न्याय पंचायत, [2][ग्राम पंचायत], संयुक्त समिति अथवा किसी अन्य समिति का प्रत्येक सदस्य अथवा सेवक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

**भूमि प्रबन्धक समिति**

[3][**28–क** (1) [4][x x x] [4][ग्राम पंचायत], भूमि प्रबन्धक समिति भी होगी और इस रूप में वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1951) की धारा 117 अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन [4][ग्राम पंचायत] की या उसमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत सभी सम्पत्ति के रख–रखाव, संरक्षण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन करेगी।

[5][(2) प्रधान भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष होगा और ग्राम पंचायत की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्र का लेखपाल उसका सचिव होगा।]

**28**–ख–(1) भूमि प्रबन्धक समिति पर, [6][ग्राम पंचायत] के लिए तथा उसकी ओर से धारा 28–क में अभिदिष्ट समस्त सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत, निम्नलिखित भी है, के सामान्य प्रबन्ध, परिरक्षण तथा नियन्त्रण का भार होगा–

**उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1951**

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन [4][ग्राम पंचायत] में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है।

(ख) वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, अनुरक्षण तथा विकास;

(ग) आबादी–स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास;

(घ) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध;

(ङ) जलाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास;

(च) जोत चकबन्दी में सहायता देना ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 34 द्वारा निकाला गया एवं प्रतिस्थापित किया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।

(छ) [1][ग्राम पंचायत] द्वारा या उसके विरुद्ध समिति के कृत्यों से सम्बद्ध अथवा उनसे उद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन ;

(ज) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 1, 1951) अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति को विशेषतः अभ्यर्पित कृत्यों का सम्पादन, और

(झ) ऐसे प्रबन्ध, परिरक्षण तथा नियंत्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ;

और वह [1][ग्राम पंचायत] की उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो ऐसे कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक या आनुषंगिक हों।][2]

(2) भूमि प्रबन्धक समिति उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने कार्य करेगी।

**सदस्य तथा अधिकारी, भूमि प्रबन्धक समिति के साथ संविदाओं आदि में स्वत्व नहीं अर्जित करेंगे**

[3]**[28**–ग–(1) [4][ग्राम पंचायत] अन्यथा भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य या पदधारी, कलेक्टर की लिखित अनुमति के सिवाय, जानबूझकर स्वयं या अपने भागीदार के माध्यम से या अन्यथा संबंधित समिति के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी लाइसेंस, पट्टे, विक्रय, विनिमय संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या स्वत्व न तो अर्जित करेगा या न अर्जित करने का प्रयास करेगा या न तो उसके सम्बन्ध में अनुबन्ध करेगा या न उसे प्राप्त करने के लिए सहमत होगा या न उसे धारण करता रहेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि केवल निम्नलिखित के कारण किसी व्यक्ति को किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या स्वत्व अर्जित किये हुए या अर्जित करने का प्रयास किये हुए या उसे धारण किये हुए या उसके संबंध में अनुबन्ध किये हुए या उसे प्राप्त करने के लिए सहमत हुए न समझा जायेगा कि –

(क) उसने सदस्य या पदधारी होने से पूर्व कोई स्वत्व अर्जित किया है ;

(ख) वह उस ज्वाईंट स्टाक कम्पनी में, जिसने संविदा किया है, कोई अंश धारण करता है, तथा

(ग) वह ऐसी वस्तु के, जिसमें वह किसी एक वर्ष में 50 रुपये से अनधिक मूल्य तक का नियमित रूप से व्यापार करता हो, संबंधित समिति के माध्यम से यदा–कदा किये जाने वाले विक्रय में कोई अंश या स्वत्व धारण करता है।

(2) कोई भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी किसी व्यक्ति के कहने पर ऐसे किसी सौदे पर आधारित दावा प्रवर्तित नहीं करेगा जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता हो।][3]

**समितियाँ**

[5]**[29**–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में या उसके अधीन बनाये गये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसी समिति या समितियां जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, ग्राम पंचायत के सभी या किन्हीं कृत्यों के संपादन में उसकी सहायता करने के लिए संघटित करेगी और ऐसी समिति या समितियों को अपनी ऐसी शक्तियों या कृत्य प्रतिनिहित कर सकती है जैसी वह उचित समझे।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा जोड़ा गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) के अधीन संघटित प्रत्येक समिति में एक सभापति और छः अन्य सदस्य होंगे जो [2][ग्राम पंचायत] के सदस्यों द्वारा अपने में से नियत रीति से निर्वाचित किये जायंगे ;

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि प्रधान या [1][x x x] या ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य ऐसी किसी समिति का सभापति होगा।]

**संयुक्त समिति**

**30**–(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुये, जो नियत किये जायँ, दो या अधिक [2][ग्राम पंचायतें] किसी ऐसे कार्य को करने के प्रयोजनों से जिसमें वे संयुक्त रूप से अभिरूचित रखती हों, ऐसी संयुक्त समिति नियुक्त करने हेतु जिसमें उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हों, लिखित द्वारा सम्मिलित हो सकती है, और

(क) किसी संयुक्त कार्य के निर्माण तथा अनुरक्षण के सम्बन्ध में ऐसी प्रत्येक [2][ग्राम पंचायत] पर बन्धनकारी कोई योजना तैयार करने के लिये और उस शक्ति के सम्बन्ध में जिसका किसी ऐसी [2][ग्राम पंचायत] द्वारा ऐसी योजना के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाय, उन शर्तों पर जिन्हें आरोपित करना वे उचित समझें, ऐसी समिति को शक्ति प्रतिनिहित कर सकती है, और

(ख) ऐसी समिति के बने रहने, उनके सदस्यों के कार्यकाल और कार्यवाहियाँ तथा पत्र–व्यवहार करने के ढंग के सम्बन्ध में नियम बना सकती है या उन्हें परिष्कृत कर सकती है।

(2) इस धारा के अधीन कार्य करते हुए [2][ग्राम पंचायतें] में यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो, तो उसे नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय उसके सम्बन्ध में अन्तिम होगा।

[3][(3) यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निदेश दे तो दो या उससे अधिक [2][ग्राम पंचायतें] धारा 15 और 16 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिये इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेंगी।

**31**–[4][ x x x ]

## अध्याय 5

## भूमि का अर्जन, गाँव निधि तथा सम्पत्ति

**गाँव निधि**

[5][**32**–(1) [6][प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक गाँव निधि] हो और यह निधि धारा 41 के अधीन पारित आय और व्यय के वार्षिक अनुमान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए [7][ग्राम सभा] अथवा [5][ग्राम पंचायत] अथवा उसकी किसी समिति पर इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम द्वारा आरोपित कर्त्तव्यों तथा दायित्वों के निर्वहन के लिये उपयोग में लायी जायेगी :

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 38 द्वारा हटाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 26 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 39(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

गाँव निधि

[1][प्रतिबन्ध यह है कि 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन ग्राम निधि में जमा की गयी समस्त धनराशियों के योग में से उक्त अधिनियम की धारा 125–क के अधीन संहत ग्राम निधि में जमा की गयी धनराशि को घटाने पर बची धनराशि तक ऐसी धनराशि जो भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने के लिये उपयोग में लाने के लिये अपेक्षित हो, ग्राम निधि में से भूमि प्रबन्धक समिति को प्रति वर्ष उपलब्ध की जायेगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा निधियों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में एक ओर भूमि प्रबन्धक समिति और दूसरी ओर [2][ग्राम पंचायत] अथवा [2][ग्राम पंचायतें] के बीच कोई मतभेद होने की दशा में मामला प्रधान द्वारा नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय बन्धनकारी होगा।

(2) गाँव निधि में निम्नलिखित जमा किये जायेंगे :–

(क) इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर से होने वाली आय ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा [2][ग्राम पंचायत] को दी गयी समस्त धनराशियां;

(ग) "विलेज पंचायत ऐक्ट" के अधीन पहले से विद्यमान विलेज पंचायत के नाम जमा अवशेष, यदि कोई हो;

(घ) ऐसी सभी धनराशियाँ जिन्हें ग्राम निधि के खाते में जमा करने के लिये किसी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो [3][अथवा किसी विधि के अधीन] अपेक्षा की गयी हो;

(ङ) धारा 104 के अधीन प्राप्त समस्त धनराशियां ;

(च) [2][ग्राम पंचायत] के सेवकों द्वारा एकत्र समस्त धूल, गन्दगी, गोबर या कूड़ा–करकट, जिसमें पशुओं के शव भी सम्मिलित हैं, के बिक्री से प्राप्त होने वाली आय ;

(छ) नजूल की सम्पत्ति के लगान अथवा उससे प्राप्त होने वाली अन्य आय का ऐसा भाग जिसे राज्य सरकार गाँव निधि के खाते में जमा किये जाने का निदेश दें;

(ज) जिला पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा गाँव निधि में अंशदान के रूप में दी गयी धनराशियाँ;

(झ) ऋण अथवा दान स्वरूप प्राप्त समस्त धनराशियाँ ;

(ञ) ऐसी अन्य धनराशियाँ जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा गाँव निधि को अभ्यर्पित की जायं ;

(ट) समस्त धनराशियाँ, जो धारा 24 अथवा किसी अन्य विधि के अधीन [2][ग्राम पंचायत] को किसी व्यक्ति अथवा निगम अथवा राज्य सरकार से प्राप्त हुई हों।

[4][(ठ) राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियाँ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा जोड़ा गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 39(ख) (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1961 की अनुसूची 8(2) द्वारा जोड़ा गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 39(ख)(2) द्वारा बढ़ाया गया।

(3) इस धारा में किसी बात का, [1][ग्राम पंचायत] के किसी ऐसे दायित्व पर प्रभाव न पड़ेगा जो वैध रूप से उस पर आरोपित या उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न हो।

[2][(4) गांव निधि में से धन का समस्त आहरण और उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।]

**वित्त आयोग**

[3][**32–क–**(1) राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीरत यथाशक्य शीघ्र और उसके पश्चात् प्रत्येक पाँचवें वर्ष के अवसान पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्यपाल को निम्नलिखित की बाबत सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा :–

(क) सिद्धान्त जो निम्नलिखित को शासित करेंगे–

(एक) राज्य द्वारा उद्ग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम का राज्य और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच वितरण जिसे उसके बीच वितरित किया जा सकेगा और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के अपने–अपने अंशों का आवंटन;

(दो) ऐसे–करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को समनुदेशित किये जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किये जा सकेंगे ;

(तीन) राज्य की संचित निधि में से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान ;

(ख) ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक अध्युपाय ;

(ग) कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों की ठोस वित्तर व्यवस्था के हित में वित्ता आयोग को निर्दिष्ट किया जाय।

(2) वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे जो ऐसी अर्हताएं रखेंगे और ऐसी रीति से चयनित किये जायेंगे जैसी कि नियत की जाय।

(3) वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा।

(4) वित्तीय आयोग का अध्यक्ष कोई सदस्य स्वहस्ताक्षरित और राज्यपाल को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है किन्तु त्याग–पत्र स्वीकृत किये जाने तक अपने पद पर बना रहेगा।

(5) वित्त आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद पर किसी आकस्मिक रिक्ति को उसके पूर्वाधिकारी शेष अवधि तक के लिये भरा जा सकता है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 40 द्वारा बढ़ाया गया।

(6) वित्त आयोग को अपने कृत्यों के सम्पादन के लिए निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् –

(क) किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी अभिलेख को मांग सकता है ;

(ख) साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकता है ; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियां, जैसी नियत की जायं।

(7) राज्यपाल इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गयी प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगा।]

**भूमि अर्जित करने की शक्ति**

**33**–यदि [1][ग्राम पंचायत] अथवा ऐसी अनेक [1][ग्राम पंचायतें], जो धारा 20 अथवा 30 के उपबन्धों के अधीन एक में सम्मिलित हुई हों, इस अधिनियम के किसी प्रयोजन को कार्यान्वित करने क लिये किसी भूमि की अपेक्षा करे, तो वह ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतें पहले तो आपसी बातचीत द्वारा भूमि ग्रहण करने का प्रयत्न करेंगी और यदि सम्बन्धित पक्ष, करार करने में चूक जायं, तो ऐसी [1][ग्राम पंचायत] अथवा [1][ग्राम पंचायतें] भूमि अर्जित करने के लिये कलेक्टर को नियत प्रपत्र में आवेदन–पत्र दे सकती हैं और कलेक्टर ऐसी भूमि को ऐसी [1][ग्राम पंचायत] अथवा [1][ग्राम पंचायतों] के लिये अर्जित कर सकता है।

**स्पष्टीकरण**–इस अध्याय में पद ''भूमि'' के अन्तर्गत भूमि से प्रोद्भूत होने वाले फायदे और पृथ्वी से संलग्न या पृथ्वी से संलग्न किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें हैं।

**[1][ग्राम पंचायत] में निहित सम्पत्ति**

**34**–(1) राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी विशेष आरक्षण के अधीन रहते हुए [2][ग्राम पंचायत] की अधिकारिता के भीतर स्थित समस्त सार्वजनिक सम्पत्ति [2][ग्राम पंचायत] में निहित होगी तथा [2][ग्राम पंचायत] की होगी और ऐसी समस्त अन्य सम्पत्ति सहित, जो [1][ग्राम पंचायत] में निहित हो जाय, प्रबन्ध तथा नियंत्रण में होगी।

(2) ऐसे समस्त बाजार तथा मेले अथवा उनके ऐसे अंश का, जो सार्वजनिक भूमि पर लगते हों, प्रबन्ध और विनियमन [2][ग्राम पंचायत] द्वारा किया जायेगा और [2][ग्राम पंचायत], गाँव निधि के खाते में ऐसे समस्त देयों को प्राप्त करेगी जो उसके सम्बन्ध में उद्गृहीत या आरोपित किये गये हों।

**दावों का निस्तारण**

**35**–यदि धारा 34 में उल्लिखित किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में [2][ग्राम पंचायत] और किसी व्यक्ति के बीच विवाद उत्पन्न हो तो [2][ग्राम पंचायत] ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई का समुचित अवसर देंगी और तब यह निर्णय करेगी कि उक्त सम्पत्ति को [2][ग्राम पंचायत] की सम्पत्ति समझा जाए या नहीं।

**उधार लेने की शक्ति**

[3] **[36**–कोई [2][ग्राम पंचायत] राज्य सरकार से अथवा नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम अथवा किसी अनुसूचित बैंक या उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक अथवा

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 10 द्वरा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 42 द्वरा प्रतिस्थापित।

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक या किसी अन्य [1][ग्राम पंचायत] द्वारा से इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिये धनराशि उधार ले सकती है।

[2]**[37**– [3][ग्राम पंचायत] एतद्पश्चात् दिये गये खण्ड (क) और (ख) में वर्णित कर लगायेंगी और खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) और (ट) में वर्णित सभी या कोई कर, फीस और शुल्क लगा सकती है, अर्थात्–

(क) उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 अथवा कुमायूँ तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिये देय अथवा देय समझी जाने वाली भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया कम से कम पचीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक कर लगा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जिसके द्वारा उसके लिये भू–राजस्व देय हो अथवा देय समझा जाय, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो ;

(ख) खण्ड (क) में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू–राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया [4]**[**कम से कम पच्चीस पैसे किन्तु पचास पैसे से अनधिक**]** कर लगा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जो उसके लिए भू–राजस्व का देनदार हो, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो ;

[5]**[**(ग) [3][ग्राम पंचायत] के क्षेत्र में अस्थायी रूप से स्थित प्रेक्षागृह, सिनेमा अथवा इसी प्रकार के आमोद पर कोई कर, जो पांच रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा, लगा सकती है ;

(घ) [3][ग्राम पंचायत] के क्षेत्र के भीतर रखे गये और किराये पर चलाये जाने वाले पशुओं और यन्त्रचालित वाहनों से भिन्न वाहनों पर उनके स्वामियों द्वारा निम्नलिखित दर से देय कर लगा सकती है जो –

(1) जानवरों की दशा में, प्रति जानवर तीन रुपया प्रति वर्ष से अधिक न होगा;

(2) गाड़ियों की दशा में, प्रति वाहन छः रुपया प्रति वर्ष से अधिक न होगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 19(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 19(ख) एवं (ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1965 की धारा 4(क) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ङ) उन व्यक्तियों पर [1][ कोई कर ] लगा सकती है, जो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन पर खण्ड (ग) के अधीन [1][कर] निर्धारित किया जाता हो और जो ऐसे बाजारों, हाटों अथवा मेलों में बिक्री के लिए मामलों को अभिदर्शित करे जो सम्बन्धित [2][ग्राम पंचायत] के हों अथवा उसके नियन्त्रण में हों ;

(च) ऐसे पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस लगा सकती है जिनकी बिक्री किसी ऐसे बाजार अथवा स्थान पर की जाती हों, जो [2][ग्राम पंचायत] के हों अथवा उसके नियंत्रण में हों ;

(छ) वध–शालाओं और पड़ावों की भूमि के प्रयोग के लिए फीस लगा सकती है।

[3][(ज) जल शुल्क, जहाँ [2][ग्राम पंचायत] द्वारा घरेलू उपयोग के लिए जल सम्भारित किया जाता हो ;

(झ) निजी शौचलायों या नालियों की सफाई के लिये कर जो उन गृहों के जिनसे निजी शौचालय की नाली संलग्न हो स्वामियों या अध्यासियों द्वारा देय होगा, उस दशा में ऐसी सफाई [2][ग्राम पंचायत] के अभिकरण के माध्यम से की जाए ;

[4][(ञ) सड़कों की सफाई और उन पर रोशनी और स्वच्छता के लिये कर;

(1) कोई ऐसा अन्य कर जिसे राज्य में आरोपित करने का अधिकार राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन, उसके अनुच्छेद 277 को सम्मिलित करते हुए हो और जिसका [2][ग्राम पंचायत] द्वारा आरोपण राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो।]

(2) उपधारा (1) के अधीन कर, शुल्क तथा फीस ऐसी रीति से तथा ऐसे समयों पर आरोपित, निर्धारित तथा वसूल किये जायेंगे, जो नियत किये जायें।

[5]**[37–क–**(1) [6][ग्राम पंचायत] द्वारा लगाये गये कर, शुल्क अथवा फीस के विरुद्ध अपील नियत प्राधिकारी को की जायेगी।

(2) यदि नियत प्राधिकारी की जानकारी में यह बात लाई जाय कि कर, शुल्क अथवा फीस किसी ऐसे व्यक्ति पर आरोपित नहीं किया गया है जिस पर उसे आरोपित किया जाना चाहिए था, तो वह [6][ग्राम पंचायत] की उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों पर कर, शुल्क अथवा फीस आरोपित करने का निदेश दे सकता है और [6][ग्राम पंचायत] तदुपरान्त तद्नुसार कार्य करेगी।

**करों और देयों का माल–गुजारी की बकाया के रूप में वसुल किया जायेगा**

**37–ख–**इस अधिनियम के अधीन आरोपित करों के कारण समस्त देयों और [6][ग्राम पंचायत] की देय अन्य धनराशियों को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसुल किया जायेगा यदि सम्बन्धित [6][ग्राम पंचायत] निर्धारण के दिनांक से तीन मास के भीतर इस आशय का एक संकल्प पारित करे :

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1957 की धारा 4(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 11(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 19(घ) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 29 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि [1][ग्राम पंचायत] उक्त तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा संकल्प पारित करने में चूक करे, तो नियत प्राधिकारी करों के बकायों को मालगुजारी की बकायों के रूप में वसूल करने का प्राधिकार देगा।

**कर, शुल्क अथवा फीस की छूट**

**37–ग–**(1) राज्य सरकार किसी ऐसी अवधि के सम्बन्ध में चाहे वह उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1954 के प्रारम्भ के पूर्व की हो अथवा बाद की, [1][ग्राम पंचायत] द्वारा लगाये गये किसी कर, शुल्क अथवा फीस की पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से छूट दे सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति नियत प्राधिकारी द्वारा भी या जो सामान्य रूप से या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियों में प्रयोक्तव्य होगी जिन्हें राज्य सरकार नियत करे।

(3) [1][ग्राम पंचायत] भी संकल्प द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में, जो नियत की जायें, किसी ऐसे कर, शुल्क अथवा फीस की पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से छूट दे सकती है जो उसके द्वारा आरोपित किया गया हो या लगाया गया हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा संकल्प जब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उसे नियत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय।

(4) यदि उपधारा (1) से (3) तक के अधीन किसी कर, शुल्क अथवा फीस की छूट दी गयी हो, तो इस प्रकार छूट दिये गये कर, शुल्क अथवा फीस के सम्बन्ध में निर्धारितों से वसूल की गई कोई धनराशि उसे [1][ग्राम पंचायत] द्वारा वापस कर दी जायेगी।][2]

**देयों की वसूली तथा निधियों और लेखों की अभिरक्षा**

**38–**[9][ग्राम पंचायत] ऐसी रीति से जो नियत की जाय, पंचायत के करों और देयों की वसूली, अपनी निधियों की अभिरक्षा और लेखों के अनुरक्षण का प्रबन्ध करेगी।

**39–**[3][ x x x ]

**लेखा परीक्षा**

[4][**40–**प्रत्येक [6][ग्राम पंचायत] और [5][x x x] के लेखे को परीक्षा [6][प्रत्येक वर्ष] ऐसी रीति से और [7][ऐसी फीस का भुगतान] करने पर की जायेगी जो नियत की जाय।

**ग्राम पंचायत का बजट**

[8][**41–**प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति से जैसी नियत की जाये, आगामी पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए [9][ग्राम पंचायत] की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण तैयार करेगी जो कि [9][ग्राम पंचायत] द्वारा उसकी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जायेगा और ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति [9][ग्राम पंचायत] के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक होगी।**]**

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 29 द्वारा जोड़ा गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 14 द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 31 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 15 द्वारा निकाला गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 20 द्वारा बढ़ाया गया।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित।
9. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

## अध्याय–6
## (न्याय पंचायत)
## [धारा 42 से 94–क तक हटाया गया]
[1][ x x x ]

## अध्याय–7
## वाह्य नियंत्रण

**95**–[2][(1) राज्य सरकार– **निरीक्षण**

(क) ऐसी स्थावर सम्पत्ति का, [3][जो किसी ग्राम पंचायत के स्वामित्व में हो और जो उसके] या संयुक्त [4][x x x] द्वारा प्रयुक्त अथवा अध्यासित हो, अथवा ऐसी [3][ग्राम पंचायत] या संयुक्त [4][x x x] के निदेश के अधीन किये जा रहे किसी निर्माण कार्य का निरीक्षण करा सकती है ;

(ख) [3][ग्राम पंचायत] या [4][x x x] के कब्जे में या नियंत्रणाधीन किसी वही अथवा लेख्य को लिखित आदेश द्वारा माँग सकती है और उसका निरीक्षण कर सकती है ;

(ग) [3][ग्राम पंचायत] या संयुक्त [4][x x x] से लिखित आदेश द्वारा [3][ग्राम पंचायत] या ऐसी [4][x x x] की कार्यवाहियों या कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में ऐसे विवरण–पत्र, रिपोर्ट अथवा लेख्यों की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है जिन्हें वह ठीक समझे ;

(घ) [3][ग्राम पंचायत] अथवा संयुक्त समिति के विचाराणार्थ कोई ऐसा सम्प्रेक्षण अभिलेखबद्ध कर सकती है जिसे वह ऐसी ग्राम पंचायत संयुक्त समिति की कार्यवाहियों अथवा कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में उचित समझें ;

(ङ) [4][x x x], [3][ग्राम पंचायत] [4][x x x] से सम्बन्धित किसी भी विषय के सम्बन्ध में कोई जाँच संस्थित करा सकती है ; और

[5][(च) किसी [3][x x x] [3][ग्राम पंचायत], संयुक्त समिति [5][भूमि प्रबन्धक समिति] [4][x x x] को [3][x x x] विघटित कर सकती है यदि राज्य सरकार की राय में [4][x x x], ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति भूमि प्रबंधक समिति [4][x x x] ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो, या उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अपने पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करने में निरन्तर चूक की हो अथवा इसका बना रहना जनहित में वाँछनीय न समझा जाय;

**स्पष्टीकरण**–[3]**[ x x x ]**

(छ) [7][ग्राम पंचायत के प्रधान [9]**[ x x x ]** या उसके किसी सदस्य को या संयुक्त समिति या भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को, ग्राम सभा के किसी पदाधिकारी को [8]**[ x x x ]** हटा सकती है, यदि–

[6]**[**(1) वह बिना अपर्याप्त कारण के लगातार तीन से अधिक सभाओं अथवा बैठकों में अनुपास्थित रहे;

---

1. अध्याय 6 धारा 42 से 94–क तक उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 16 द्वारा हटाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 76(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 17 (क) द्वारा हटाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 76 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 76 (2) द्वारा हटाया गया।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 17 (ख) द्वारा हटाया गया।
9. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 2 द्वारा हटाया गया।

(2) वह कार्य करने से इंकार करे अथवा किसी भी कारण से कार्य करने के लिये अक्षम हो जाय अथवा यदि उस पर ऐसे अपराध का अभियोग लगाया गया हो अथवा दोषारोपण किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो ;

(3) उसने इस रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया हो अथवा उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा आरोपित कर्त्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक की हो अथवा उसका इस रूप में बना रहना जनहित में वाँछनीय न हो ;[ *** ][1]

[2] [(3–क) उसने किसी ऐसे मिथ्या घोषणा–पत्र, जिसे उसके द्वारा यह अभिव्यक्त करते हुए कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है, हस्ताक्षरित किया गया हो, के अधार पर यथास्थिति, धारा 11–क की उपधारा (2) या धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त किया हो ;]

(4) वह [3][x x x] राजनीति में सक्रिय भाग लेता हो, [4][या]

[5][(5) उसमें धारा 5–क के खण्ड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित अनर्हताओं में से कोई अनर्हता हो :]

[6]**[**प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ कोई प्रधान या [7][x x x ] ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जैसी नियत की जाय, की गयी किसी जाँच में प्रथम दृष्टया वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाय वहाँ ऐसा प्रधान या [7][x x x ] वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अन्तिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाय, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।**]**

(छछ) [8][x x x ]

(ज) [8][x x x ]

प्रतिबन्ध यह है कि –

(1) खण्ड (च), या खण्ड (छ) [9][x x x ] के अधीन कोई कार्यवाही सम्बद्ध निकाय अथवा व्यक्ति को, प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं ;

(2) [10][x x x]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1957 की धारा 5(1) द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1998 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 17(ख) द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1957 की धारा 5(ii) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1957 की धारा 5(1) (3) द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 49(तीन)(ग) द्वारा बढ़ाया गया।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 49 द्वारा निकाला गया।
9. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 49(6) द्वारा निकाला गया
10. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 49(7) द्वारा निकाला गया।

[(2) इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के उपखंड (3) और (4) के अधीन हटाया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी पद पर पाँच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि के लिये जैसा कि राज्य सरकार किसी मामले में आदेश दे, पुनः निर्वाचित या पुनः नियुक्त किये जाने का हकदार न होगा।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेश पर किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) यदि कोई [1][x x x], ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति अथवा भूमि प्रबन्धक समिति [2][विघटित] की जाय, तो उसको शक्तियों का प्रयोग करने और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।][3]

[**95–क** (1) यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि [1][x x x], या [2][ग्राम पंचायत] ने इस अधिनियम अथवा किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा उस पर आरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने में चूक की है, तो राज्य सरकार उस कर्त्तव्य का पालन करने के लिये कोई अवधि लिखित आदेश द्वारा निश्चित कर सकती है।

(2) यदि इस प्रकार निश्चित की गई अवधि के भीतर कर्त्तव्य का पालन न किया जाय, तो राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को, जो विनिर्दिष्ट किया जाय, उसे पालन करने का निदेश दे सकती है और अग्रेतर यह भी निदेश दे सकती है कि कर्त्तव्य पालन के व्यय, यदि कोई हों, का भुगतान [1][x x x] निधि से किया जायेगा और तदुपरान्त वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में वह निधि हो, उक्त धनराशि का भुगतान ऐसी निधि से करेगा।][4]

**कतिपय कार्यवाहियों का प्रतिषेध**

**96**–(1) नियत प्राधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेष रूप से सशक्त कोई अन्य अधिकारी सूचना प्राप्त होने पर अथवा स्वप्रेरणा से लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन पारित संकल्प या दिये गये आदेश का किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा निष्पादन किये जाने या उसके अग्रेतर निष्पादन किये जाने का प्रतिषेध कर सकता है, यदि उसकी राय में ऐसा संकल्प अथवा आदेश इस प्रकार का हो कि जिससे जनता या विधिसम्मत रूप से सेवायोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या समूह को बाधा, क्षोभ अथवा चोट पहुँचे या पहुँचने की संभावना हो अथवा जिससे मान जीवन, उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये संकट उपस्थित हो या होने की संभावना हो, अथवा बलवा या दंगा हो या होने की संभावना हो। वह किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे संकल्प या आदेश के अनुसरण में अथवा उसकी आड़ में कोई कार्य किये जाने अथवा उसे जारी रखने का प्रतिषेध कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश दिया जाये तो उसे दिये जाने के कारणों के विवरण सहित उसकी एक प्रतिलिपि नियत प्राधिकारी अथवा उक्त अधिकारी द्वारा तत्क्षण राज्य सरकार को भेजी जायेगी, जो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति अथवा उसके अधिकारी या सेवक से स्पष्टीकरण माँगने और उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् आदेश को विखंडित, परिष्कृत करेगी अथवा उसकी पुष्टि करेगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 49(घ) द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 49(घ) (ii) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 76(5) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1952 की धारा 13(3) द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये और सतत् प्रवृत्त आदेश द्वारा किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन या उसके अग्रेतर निष्पादन का निषेध किया जाय तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा संयुक्त समिति अथवा उसके किसी अधिकारी या सेवक का, यदि ऐसा आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, यह कर्त्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे वह उस दशा में करने का हकदार होता, यदि उक्त संकल्प कभी पारित न किया गया होता या उक्त आदेश कभी दिया न गया होता और जो किसी व्यक्ति को, उक्त संकल्प अथवा आदेश की आड़ में जिसके अग्रेतर निष्पादन का प्रतिषेध है, किसी कार्य को करने से या करना जारी रखने से रोकने के लिये आवश्यक हो।][1]

**राज्य सरकार द्वारा शक्तियों का प्रतिनिहित किया जाना**

[1][**96–क**. राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त शक्तियों या उनमें से किसी भी शक्ति को अपने, अधीनस्थ अधिकारी अथवा प्राधिकारी को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें आरोपित करना वह उचित समझे, प्रतिनिहित कर सकती है।]

## अध्याय 8

## शास्तियाँ तथा प्रक्रिया

**इस अधिनियम के उपबन्धों का अतिलंघन करने के लिये शास्ति**

**97**–जो कोई इस अधिनियम की [2][धारा 12–खगक या धारा 12–खगग के उपबन्धों के सिवाए] किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा वह जब तक अन्यथा नियत न किया हो, जुर्माने से जो [3][पाँच सौ रुपये] तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो वह एक और ऐसे जुर्माने से प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हुआ हो, [3][पचास रुपये] तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

**अधिग्रहण सम्बन्धी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति**

[4][**97–क**. जहाँ कोई व्यक्ति धारा 12–खगक या धारा 12–खगग के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।]

**नियमों तथा उपविधियों का अतिलंघन**

**98**–कोई नियत बनाते समय राज्य सरकार [6][और नियत प्राधिकारी की स्वीकृति] से कोई उपविधि बनाते समय ग्राम पंचायत निर्देश दे सकती है कि इसका उल्लंघन जुर्माने से जो [5][पाँच सौ रुपये] तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे जुर्माने से जो प्रथम बार दोषसिद्ध के दिनांक के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हुआ हो, [5][पचास रुपये] तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

**ग्राम पंचायत की सम्पत्ति को अन्तःक्षेपित के लिये शास्ति**

**99**–(1) जो कोई सार्वजनिक सड़क की किसी पटरी, नाले अथवा अन्य सामग्री अथवा उसके किसी घेरे, दीवाल अथवा खंभे को अथवा बत्ती के खम्भे या ब्रेकेट, निदेश स्तम्भ बंबे, हाइड्रेण्ट, अथवा [7][ग्राम पंचायत की ऐसी ही अन्य सम्पत्ति को उसकी] अथवा विधिसम्मत प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना हटायेगा, विस्थापित करेगा अथवा उसमें कोई परिवर्तन करेगा अथवा अन्य प्रकार से हस्तक्षेप करेगा, वह जुर्माने से जो [8][एक हजार रुपये] तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1950 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 6 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 29, 1995 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 51 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 51(क)(i) द्वारा प्रतिस्थापित।
8. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 52(क)(ii) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अपने किसी कार्य, अपनी किसी उपेक्षा अथवा चूक के कारण उपधारा (1) द्वारा आरोपित कोई शास्ति उपगत की है और [1][ग्राम पंचायत] की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुँचाई है तो ऐसी शास्ति उपगत करने वाला व्यक्ति ऐसी क्षति को पूरा करने तथा ऐसी शास्ति को भुगतान करने का भागी होगा और अपराधी से उक्त क्षतियाँ नियत रीति से वसूल की जा सकती है।

**जारी किये गये नोटिस की अवज्ञा**

**100**–यदि इस अधिनियम के अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति को नाटिस दिया गया हो जिसमें उसे किसी जंगम अथवा स्थावर सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्माण–कार्य निष्पादित करने अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी बात की व्यवस्था करने अथवा उससे विरत रहने की अपेक्षा की गयी हो और ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करने में चूक करे, तब –

(क) [1][ग्राम पंचायत] उक्त निर्माण कार्य को निष्पादित करा सकती है या ऐसी बात की व्यवस्था करा सकती है अथवा उसे करा सकती है और इस सम्बन्ध में अपने द्वारा किये गये समस्त व्यय को ऐसे व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया के रूप में नियत रीति से वसूल कर सकती है।

[2][ x x x ]

**नोटिस अवैध न होना**

**101**–अपने प्ररूप में किसी दोष या लोप के कारण कोई नोटिस अवैध न होगा।

**अपीलें**

**102**–(1) इस अधिनियम के अथवा किसी नियम अथवा उपविधि के अधीन [1][ग्राम पंचायत] द्वारा दिये गये आदेश अथवा निदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, जब तक अन्यथा नियत न किया हो, ऐसे आदेश अथवा निदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर, जिसमें उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय सम्मिलित नहीं होगा, नियत प्राधिकारी को अपील कर सकता है जो उक्त आदेश या निदेश को परिवर्तित, रद्द अथवा पुष्ट कर सकता है और अपील करने वाले व्यक्ति को या उसके विरुद्ध वाद व्यय भी अधिनिर्णीत कर सकता है।

(2) नियत प्राधिकारी, यदि उचित समझे, तो वह उपधारा (1) में अपील के लिये अनुज्ञात अवधि को बढ़ा सकता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

**कतिपय मामलों में अभियोजन का निलम्बन**

**103**–यदि धारा 102 में किसी आदेश अथवा निदेश के विरुद्ध कोई अपील की गई हो, तो ऐसे आदेश अथवा निदेश को प्रवृत्त करने के लिये कोई कार्यवाही और उसके उल्लंघन के लिये कोई अभियोजन नियत प्राधिकारी के आदेश से, अपील का निर्णय होने तक, निलम्बित किया जा सकता है और यदि अपील में ऐसा आदेश या निदेश रद्द कर दिया जाय तो उसकी अवज्ञा को अपराध नहीं समझा जायेगा।

**अपराध को शमन करने की शक्ति**

**104**–(1) तदर्थ बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए [1][ग्राम पंचायत] किसी आपराधिक वाद के संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियत अथवा उपविधि के विरुद्ध किये गये अपराध का शमन [1][ग्राम पंचायत] की ऐसी धनराशि जो नियत की जाय, के नकद भुगतान किये जाने पर कर सकती है।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 52(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 18 द्वारा निकाला गया।

(2) जब किसी अपराध का शमन किया गया हो तो अपराधी, यदि वह अभिरक्षा में हो, छोड़ दिया जायेगा और इस प्रकार शमित अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध अग्रेतर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

इस धारा के अधीन शासन के रूप में भुगतान की गई समस्त धनराशियाँ गांव निधि में जमा कर दी जायेगी।[1]

**प्रवेश तथा निरीक्षण**

**105**–[2][ग्राम पंचायत] का प्रधान और यदि ग्राम पंचायत द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो, तो ग्राम पंचायत का कोई अन्य सदस्य, अधिकारी अथवा सेवक किसी भवन या भूमि में अथवा पर सहायकों और कर्मकारों के साथ अथवा उनके बिना ऐसे निर्माण–कार्य का निरीक्षण या सर्वेक्षण अथवा निष्पादन करने के लिए प्रवेश कर सकता सकता है जिसे करने या निष्पादित करने के लिये [1][ग्राम पंचायत] इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों अथवा उपविधियों द्वारा प्राधिकृत हो अथवा जिसे इस अधिनियम के या नियमों के अथवा उपविधियों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में या उनमें से किन्हीं प्रयोजनों के निमित्त करना या निष्पादित करना [1][ग्राम पंचायत] के लिये आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि,–

(क) सिवाय उस दशा के जबकि इस अधिनियम या नियमों अथवा उपविधियों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित हो, ऐसा कोई प्रवेश सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच न किया जायेगा ; और

(ख) सिवाय उस दशा के जबकि इस अधिनियम या नियमों अथवा उपविधियों में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित हो, किसी भवन में जो मनुष्यों के निवास गृह के रूप में प्रयुक्त होता हो, उसके अध्यासी की सहमति के बिना और उक्त अध्यासी को ऐसा प्रवेश करने के अभिप्राय का लिखित रूप में चार घंटे से कम का पहले से नोटिस दिये बिना प्रवेश न किया जायेगा ; और

(ग) प्रत्येक मामले में उस दशा में भी पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा जब किसी भू–गृहादि में नोटिस दिये बिना अन्यथा प्रवेश किया जा सकता हो, जिससे उस कक्ष की, जो स्त्रियों के रहने के लिये प्रयुक्त होता हो, स्त्रियाँ हटकर भू–गृहादि के ऐसे भाग में चली जा सकें, जहाँ उनकी एकान्तता में कोई बाधा न पहुँचे ; और

(घ) जिस भू–गृहादि में प्रवेश किया जायेगा उसके अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदैव सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

**ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों, उनके अधिकारियों [3][x x x] के विरुद्ध सिविल वाद**

**106**–(1) ग्राम सभा, या ग्राम पंचायत अथवा भूमि प्रबन्धक समिति के विरुद्ध अथवा उसके [3][x x x] के सदस्य या अधिकारी या सेवक ग्राम के विरुद्ध अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो इन निकायों अथवा व्यक्तियों में से किसी के निदेश के अधीन कार्य करता हो, किसी ऐसे कार्य के लिये, जो उसने इस अधिनियम के अधीन अधिकारिक रूप में किया हो या जिसका किया जाना तात्पर्यित हो, कोई सिविल वाद या कोई अन्य विधिक कार्यवाही तब तक न संस्थित की जायेगी जब तक कि ग्राम सभा, या ग्राम पंचायत की दशा में लिखित नोटिस, जिसमें वाद–कारण, अपेक्षित उपशमी का प्रकार, दावा किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि, यदि कोई हो, और इच्छुक वादी का नाम तथा उसके निवास–गृह का पता स्पष्ट रूप से वर्णित होगा, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कार्यालय में परिदत्त दिये जाने या वहाँ छोड़ दिये जाने और सदस्य, अधिकारी या सेवक अथवा ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उसके निदेश के अधीन अथवा ग्राम सभायें, ग्राम पंचायत [3][x x x] के निदेश के अधीन कार्य कर रहा हो, उसे परिदत्त किये जायें अथवा उसके कार्यालय या उसके निवास–गृह पर छोड़ दिये जाने के बाद दो मास न व्यतीत हो गये हों, और वाद–पत्र में इस आशय का कथन होगा कि ऐसा नोटिस इस प्रकार परिदत्त किया गया है या छोड़ दिया गया है।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 79 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 80 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 19 द्वारा निकाला गया।

(2) कोई ऐसी कार्यवाही, जो उपधारा (1) में वर्णित है, वाद–करण प्रोद्भूत होने के पश्चात् 6 मास के भीतर ही प्रारम्भ करने के सिवाय अन्यथा प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

**ग्राम पंचायत [1][x x x] को संरक्षण**

**107**–(1) [x x x]

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियत या उपविधि के अधीन सद्भाव पूर्वक किये गये अथवा किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत या उसके किसी सदस्य या अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो उसके निदेश के अधीन कार्य कर रहा हो, कोई सिविल वाद अथवा अभियोजन किसी न्यायालय में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

**कार्यवाहियों की वैधता**

**107–क.** इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अथवा उसकी कोई समिति इस बात के होते हुए भी कि उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति थी अथवा उसके किसी सदस्य का नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि या अनियमितता थी, कार्य करने के लिये सशक्त होगी [2]**[**और किसी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत**]** अथवा समिति में कोई कार्यवाहियाँ इस बात के होते हुए भी वैध होंगी कि किसी सदस्य का नाम दर्ज करने में कोई त्रुटि या अनियमितता थी अथवा कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा, मतदान किया अथवा अन्यथा भाग लिया तथापि प्रतिबन्ध यह है कि उक्त कार्य के किये जाने के समय उपस्थित व्यक्तियों में से कम से कम दो तिहाई व्यक्ति सदस्य होने के लिये अनर्ह न रहे हों।[3]

**पंचायतों को सहायता देने तथा अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य**

**108**–पुलिस का प्रत्येक अधिकारी किसी ऐसे अपराध की, जो इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा उपविधि के विरुद्ध किया गया हो और जिसकी उसे जानकारी हो जाय, सूचना तत्काल [1][ग्राम पंचायत] को देगा और ग्राम पंचायत [4][x x x] के समस्त सदस्यों तथा सेवकों को उनके विधिसम्मत प्राधिकारी के प्रयोग में सहायता देगा।

**109**–यदि [4][x x x] की अधिकारिता के सम्बन्ध में अथवा दो या दो से अधिक ग्राम पंचायत के बीच अथवा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत अथवा म्युनिसिपलिटी अथवा जिला पंचायत के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे नियत प्राधिकारी को अभिदिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

**अभिलेखों की अभिरक्षा और उन्हें प्रमाणित करने का ढंग**

[5]**[109–क.** (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,–

(क) ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख उसके सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे ;

(ख) सचिव, आवेदन करने पर और ऐसी फीस के भुगतान करने पर जैसी नियत की जाये, किसी व्यक्ति को ऐसे किसी अभिलेख की प्रति देगा और उसे अपने हस्ताक्षर और ग्राम पंचायत की मुहर से सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करेगा।

(2) ग्राम पंचायत के किसी अभिलेख के सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रति को अभिलेख के अस्तित्व के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा और प्रत्येक वाद में उसमें अभिलिखित विषयों के साक्ष्य के रूप में उस सीमा तक ग्रहण किया जायेगा जहाँ और जिस सीमा तक मूल अभिलेख, यदि वह प्रस्तुत किया जाता, ऐसे विषयों को प्रमाणित करने के लिये ग्राह्य होता।**]**

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 20 (क) द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 54 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 82 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 21 द्वारा निकाला गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 1999 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

## अध्याय 9

## नियम, उपविधियाँ तथा निरसन

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

**110**–[(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।][1]

(2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था की जा सकती है,–

(1) कोई विषय, जिसके लिये व्यवस्था करने की शक्ति इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त अथवा विवक्षित रूप से राज्य सरकार को प्रदत्त की जाय ;

(2) [3][ग्राम सभा] [2][x x x] की स्थापना या ग्राम पंचायत का संघटन;

[4][(2–क) [5][x x x] के लिए अर्हतायें ;

[4][(2–ख) ग्राम पंचायतों [2][x x x] का सर्किलों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उनके परिसम्मत और दायित्वों का वितरण ;

[6][(2–ग) धारा 12–ग के अधीन निर्वाचन याचिकाओं और पुनरीक्षण के लिये आवेदन–पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और उनका निस्तारण ;

(2–घ) प्रधान, [5][x x x], ग्राम पंचायतों के सदस्यों, पंच, सहायक सरपंच तथा सरपंच द्वारा शपथ ग्रहण ;

[4][(2–ङ) प्रधान, [5][x x x], ग्राम पंचायतों के सदस्यों, पंच, सहायक सरपंच तथा सरपंच द्वारा पद त्याग–पत्र का निवेशित किया जाना ;

[4][(2–च) सामान्य निर्वाचनों तथा उप–निर्वाचनों का आयोजन ;

[7][ x x x ]

[4][(2–ज) ग्राम पंचायत और [2][x x x] के पदाधिकारियों को अवकाश प्रदान करना ;

[4][(2–झ) किस कारण से प्रधान और [5][ x x x ] की अनुपस्थिति में उनके कर्त्तव्यों का पालन किया जाना ;

(3) ग्राम सभाओं तथा ग्राम पंचायत [2][ x x x ] की बैठकों का समय और स्थान तथा बैठकें बुलाने और उनकी सूचना देने की रीति ;

(4) कार्यवाहियों का संचालन, जिसके अन्तर्गत बैठकों में सदस्यों द्वारा प्रश्नों का पूछा जाना और बैठकों का स्थगित किया जाना और बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तकें भी हैं ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 14(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 23(क) द्वारा निकाला गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1960 की धारा 15(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 85(1) द्वारा जोड़ा गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 37, 1978 की धारा 43(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 23(ख) द्वारा निकाला गया।

(5) समितियों का स्थापित किया जाना और ऐसी समितियों के संघटन और प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी विषयों का अवधारण ;

(6) पदाधिकारियों का निलम्बन तथा हटाया जाना ;

(7) अभिलेख और रजिस्टर जो ग्राम पंचायतों [1][x x x] द्वारा रखे जायेंगे तथा प्रपत्र जिसमें वे होंगे ;

[2][(7–क) ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत के रजिस्टरों का नियतकालिक, पुनरीक्षण तथा संशोधन ;

(8) कार्यवाही जो कार्यकारिणी समिति, संयुक्त समिति या किसी अन्य समिति [1][x x x] में कोई रिक्ति होने पर की जायेगी ;

(9) प्राधिकारी जिसके द्वारा कार्यकारिणी समिति, संयुक्त समिति, किसी अन्य समिति [1][x x x] में नियुक्तियों के सम्बन्ध में विवादों का निर्णय किया जा सकता है, तथा उसमें पालन की जाने वाली प्रक्रिया ;

(10) ग्राम पंचायत [1][x x x] के ऐसे सेवक द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति की धनराशि और उसका प्रकार जिसमें प्रतिभूति की अपेक्षा करना इष्टकर समझा जाये;

[3][(11) ग्राम पंचायत [1][x x x] के सेवकों की नियुक्ति, अर्हतायें, पर्यवेक्षण, पदच्युति, सेवामुक्ति उन्हें हटाया जाना अथवा दण्ड तथा उनकी सेवा, अवकाश, स्थानान्तरण, वेतन तथा विशेषाधिकारों से सम्बन्धित अन्य विषय और अपील करने के उनके अधिकार ;]

(12) ग्राम पंचायत [1][x x x] के सेवकों के लिये भविष्य निधि का प्रबन्ध और विनियमन, यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा भविष्य निधि की प्रणाली अपनायी जाये ;

(13) प्रारम्भिक विद्यालयों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबन्ध तथा उनके भवनों का निर्माण और मरम्मत ;

(14) किसी संयुक्त समिति की सौंपे गये पुस्तकालयों, वाचनालयों, औषधालयों की स्थापना, प्रशासन तथा नियंत्रण और उनसे सम्बद्ध भवनों का निर्माण और मरम्मत तथा पंचायत क्षेत्र के निर्धन निवासियों को औषधि और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता का सम्भरण ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 23(क) द्वारा निकाला गया।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 85(1)(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 85(1)(घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

(15) किसी भूमि, भू–गृहादि अथवा जल पर उत्पन्न जल वनस्पति घास, तृणादि अथवा अन्य जंगली उपज को खोज निकालना, उसे हटाना और नष्ट करना, उसके फैलाव को रोकने से लिए घेरों और अवराधों का बनाया जाना और ऐसे कार्य को करने में होने वाला व्यय ;

(16) स्वच्छता, सफाई, जल निस्तारण, भवनों, सार्वजनिक सड़कों तथा जल सम्भरण के सम्बन्ध में कार्यवाही और लोक न्यूसेन्स का प्रतिषेध ;

[2][(16–क) धारा 15, 16 तथा 17 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का पालन करना ;]

(17) आय तथा व्यय के वार्षिक अनुमान तैयार करना तथा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निधि को पृथगरक्षित करना ;

(18) ग्राम पंचायतों [1][x x x] द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां तथा प्रपत्र जिनमें वे होंगी और प्राधिकारी, जिसको और समय, जब वे प्रस्तुत की जायेंगी ;

(19) करों और लाइसेन्स फीस का लगाया जाना, प्राधिकारी जिसमे द्वारा और रीति जिसके अनुसार कर निर्धारित किये जा सकते हैं, और प्राधिकारी जिसको कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है ;

[2][(19–क) ग्राम पंचायतों द्वारा राज्य के देयों तथा अन्य देयों की वसूली और उसके लिये दिया जाना वाला पारिश्रमिक ;

(20) करों तथा अन्य देयों के भुगतान का ढंग और समय, वसूली की प्रक्रिया और प्राधिकारी, जिसकी सहायता करों तथा देयों की वसूली करने में ग्राम पंचायत द्वारा ली जा सकती है ;

(21) ग्राम पंचायतों और [1][x x x] द्वारा लेखा रखने का ढंग ;

(22) सार्वजनिक भवनों और नजूल भूमि का अनुरक्षण ;

(23) किसी सम्पत्ति को अन्तरित करते समय पालन की जाने वाली औपचारिकतायें और वह रीति जिसके अनुसार संविदा विलेख [1][ग्राम पंचायत] द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

(24) लेखा परीक्षकों, निरीक्षकों तथा अधीक्षक प्राधिकारियों की जाँच करने की, साक्षियों को बुलाने और उनकी परीक्षा करने की, लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करने की शक्तियाँ तथा लेखा परीक्षा, निरीक्षण, तथा अधीक्षण से सम्बन्धित अन्य समस्त विषय ;

**[1][धारा 110 की उपधारा 2 के खण्ड [1][25 से 30] तक निकाल दिये गये।**

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 23 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्य 2, 1955 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

(31) शक्तियाँ जिनका प्रयोग [1][जिला पंचायत] अथवा किसी नियत प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करने में किया जा सकता है और वह रीति जिससे ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है ;

(32) ग्राम पंचायतों के लिये या ग्राम पंचायतों द्वारा उपविधियां बनाने में नियत प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया ;

[1][(33) सामान्यतया इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन कसी विषय के सम्बन्ध में प्रपत्रों तथा रजिस्टरों का नियत किया जाना और उनका मुद्रण] ;

(34) नक्शों, डिजाइनों, विशिष्ट विवरण तथा अनुमानों का अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना ;

(35) गाँव स्वयं सेवक दल के कर्त्तव्य, शक्तियाँ और कृत्य ;

(36) ग्राम पंचायतों, [1][x x x] द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना और उनका पुनर्विलोकन ;

(37) ग्राम पंचायत के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति, जो [2][ग्राम पंचायतों] की बैठकों में परामर्शदाता के रूप में उपस्थित हो सकते हों ;

(38) ग्राम पंचायत [2][x x x] तथा अन्य प्राधिकारियों के बीच पत्र–व्यवहार का माध्यम ;

(39) ग्राम सभाओं अथवा ग्राम पंचायतों [2][x x x] के समाप्त किये जाने पर उनके परिसम्पत्ति और दायित्वों का निस्तारण ;

(40) किसी ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र या उसके किसी भाग का किसी नगर म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया अथवा कैन्टोमेन्ट में सम्मिलित कर लिये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही और वह रीति जिससे ऐसी परिस्थितियों में ग्राम पंचायत के परिसम्पत्ति और दायित्वों का निस्तारण किया जा सकेगा ;

(41) शर्तें, जिनके अधीन [2][ग्राम पंचायत] को देय धनराशियाँ वसूल न होने योग्य होने के कारण बट्टे खाते में डाली जा सकती हैं और शर्तें, जिनके अधीन सम्पूर्ण फीस अथवा उसके किसी भाग की छूट दी जा सकती है, और इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित किसी विषय में सामान्यतया ग्राम पंचायतों, [2][x x x] संयुक्त समितियों, अन्य समितियों सरकार के सेवकों तथा अन्य प्राधिकारियों के पथ–प्रदर्शन के लिये ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 85 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 2017 की धारा 23 द्वारा निकाला गया।

(42) अनुसूचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन का विनियमन ;

[1][(43) सामान्य प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय पर सरकारी सेवकों को ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली सहायता ;

[(44) सहायक सरपंच और [2][x x x] की शक्तियाँ और कर्त्तव्य ;

[(45) ग्राम पंचायत द्वारा धन का ऋण लिया जाना तथा दिया जाना ;

[(46) विषय जो नियत किये जाने हों और नियत किये जायें ; तथा

[(47) कोई भी विषय जिसके सम्बन्ध में धारा 111 में किसी ग्राम पंचायत के लिये उपविधि बनाने की शक्ति प्राधिकारी को प्रदान की गयी हो।][1]

[(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल तीस दिन के अवधि वर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।][3]

**उपविधियां बनाने की जिला पंचायतों की शक्ति**

**111**–(1) नियत प्राधिकारी ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा की अभिवृद्धि और अनुरक्षण के प्रयोजन के लिये तथा इस अधिनियम के अधीन [1][ग्राम पंचायतों] के प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिये अपनी अधिकारिता के भीतर [1][ग्राम पंचायतों] के लिये इस अधिनियम से और इसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत उपविधियां बना सकता है और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किये जाने पर अवश्य बनायेगा।

**उपविधियां बनाने की ग्राम पंचायतों की शक्ति**

**112**–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के और नियत प्राधिकारी द्वारा बनाई गयी उपविधियों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुये [1][ग्राम पंचायत] निम्नलिखित के लिए उपविधियां बना सकती हैं,–

(क) पीने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे स्त्रोत से जल के हटाने अथवा उसके प्रयोग का प्रतिषेध करना जिससे स्वास्थ्य के लिये संकट उत्पन्न होने की संभावना हो और किसी ऐसे कार्य करने का प्रतिषेध करना जिससे पीने के जल के स्त्रोत के दूषित होने की संभावना हो ;

(ख) किसी नाली अथवा भू–गृहादि से किसी सार्वजनिक सड़क पर अथवा नदी, पोखर, तालाब, कुयें में अथवा किसी अन्य स्थान पर जल के निस्तारण का प्रतिषेध अथवा उसे विनियमित करना ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 85 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 2 द्वारा हटाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1973 की धारा 14(2) द्वारा प्रतिस्थापित।

(ग) सार्वजनिक सड़क तथा ग्राम पंचायत की सम्पत्ति को क्षति से बचाना ;

(घ) ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में स्वच्छता, सफाई तथा जल निस्तारण को विनियमित करना ;

(ङ) दूकानदारों अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक सड़कों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अथवा सार्वजनिक सड़कों पर तहबातारी के संग्रहण का प्रतिषेध करना या उसे विनियमित करना ;

(च) उस रीति को विनियमित करना, जिससे तालाब, पोखर, चारागाह, खेल के मैदान, खाद के गड्ढे, मृतक शरीर के निस्तारण के लिये भूमि तथा नहाने के स्था अनुरक्षित तथा प्रयुक्त किये जायेंगे ;

[1][(छ) ग्राम पंचायत के किसी ऐसे अन्य कर्त्तव्यों अथवा कृत्यों को विनियमित करना जैसा कि नियत प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय।

(2) ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई गई उपविधियों का प्रारूप नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा। उसके सम्बन्ध में प्राप्त किन्हीं आपत्तियों पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचार किया जायेगा और तब उपविधियां प्राप्त, आपत्तियों, यदि कोई हों, और उन पर किये गये निर्णयों सहित नियत प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। नियत प्राधिकारी द्वारा यथास्वीकृत उपविधियां नियत रीति से प्रकाशित किये जाने के बाद प्रवृत्त होंगी ;

[1][प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार इस प्रकार स्वीकृत किन्हीं उपविधियों को किसी भी समय विखंडित या परिष्कृत कर सकती है।

**113**–[2][ x x x ]

कतिपय दशाओं में आकस्मिक रिक्तियों को बिना भरे रखा जाना

[3][**114**–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन संघटित किसी निकाय में किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग करने, हटाये जाने अथवा निर्वाचन का परिवर्जन करने के कारण कोई रिक्ति हो जाये ऐसे सदस्य अथवा अन्य पदाधिकारी का कार्यकाल सामान्य घटनाक्रम में ऐसी रिक्ति होने के छः मास के भीतर समाप्त हो जाता हो तो नियत प्राधिकारी निदेश दे सकता है कि रिक्ति को इस अधिनियम के अधीन आगामी सामान्य निर्वाचन होने तक बिना भरे रखा जायेगा।]

[5][(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दिये गये निदेश के कारण [4][प्रधान के पद में रिक्ति] बिना भरे रह जायं तो प्रधान के निर्वाचित होने तक प्रधान के कृत्यों के निर्वहन के लिये नियत प्राधिकारी, आदेश द्वारा ऐसे प्रबन्ध कर सकता है जो वह ठीक समझे।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1955 की धारा 86 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21, 1995 की धारा 12 द्वारा हटाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1995 की धारा 87 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित। (20–8–2007 से प्रभावी)।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 6, 1969 की धारा 9 द्वारा पुनःसंख्यांकित तथा अर्न्तविष्ट।

**कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों तथा आभारों का उत्तराधिकार**

[1] **[115**–(1) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक की और से,–

(क) समस्त सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित और आस्तियां जिनके अन्तर्गत रोकड़ बाकी भी है, जहां कहीं भी वे स्थित हों, जो उक्त दिनांक के ठीक पहले गांव सभा में निहित थी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, ग्राम पंचायत में निहित हो जायेंगी और इसके अधिकार में रहेंगे ; तथा

(ख) पूर्वोक्त ग्राम सभा के ऐसे समस्त अधिकार, दायित्व और आभार चाहे वे किसी संविदा से उत्पन्न हुए हों या अन्यथा जो उक्त दिनांक से ठीक पहले विद्यमान हों, यथास्थिति, उस ग्राम पंचायत के अधिकार, दायित्व और आधार हो जायेंगे।

(2) यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न हो कि कोई सम्पत्ति, हित या आस्ति उपधारा (1) के अधीन ग्राम पंचायत में निहित हो गई है या नहीं, अथवा कोई अधिकार, दायित्व या आधार ग्राम पंचायत का अधिकार, दायित्व या आभार हो गया है या नहीं, तो ऐसा संदेह या विवाद, राज्य सरकार को नियत रीति से निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय, जब तक कि वह किसी विधि न्यायालय के किसी निर्णय से अवक्रान्त न हो जाए, अन्तिम होगा।

**देय धनराशियां**

**116**–किसी ग्राम सभा को देय समस्त धनराशियां, चाहे वे किसी कर के मद में देय हों या किसी अन्य खाते में, ग्राम पंचायत द्वारा वसूल की जायेगी और, ग्राम पंचायत ऐसी वसूली के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम होगी या कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगी, जिसे उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनयिम, 1994 के प्रवृत्त न होने की दशा में उक्त ग्राम सभा करने या प्रारम्भ करने की अधिकारी होती।

**ऋृण, आभार, संविदाएं तथा विचाराधीन कार्यवाहियां के प्रवर्तन**

**117**–(1) किसी ग्राम सभा द्वारा या उसकी ओर से धारा 115 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिनांक के पूर्व उपगत सभी ऋृणों और आभारों और की गई सभा संविदाओं के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक को विद्यमान हों, यह समझा जायेगा कि वे इस अधिनियम द्वारा उसे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, ग्राम पंचायत द्वारा हुए अथवा किये गये हैं और तद्नुसार बने रहेंगे।

(2) उक्त ग्राम सभा के किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक की विचाराधीन ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिनका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ग्राम पंचायत के समक्ष प्रारम्भ किया जाना अथवा उसके द्वारा सम्पन्न किया जाना अपेक्षित हो, ग्राम पंचायत को संक्रमित कर दी जायेगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी, और ऐसी अन्य समस्त कार्यवाहियां भी, यथा सम्भव, उस प्राधिकारी को संक्रमित कर दी जायेगी और उसके द्वारा जारी रखी जायेंगी जिसके समक्ष अथवा जिसके द्वारा, वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, प्रारम्भ या सम्पन्न की जाती।

(3) उक्त गांव सभा के प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन समस्त अपीलें, यथाव्यवहार्य, इस प्रकार निस्तारित की जायेंगी मानो उसके प्रारम्भ किये जाने के समय ग्राम पंचायत विद्यमान थी।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 59 द्वारा बढ़ाया गया।

(4) उक्त ग्राम सभा द्वारा या उसकी ओर से चलाये गये सभी अभियोजन और उक्त ग्राम सभा द्वारा या उसके विरुद्ध या उक्त ग्राम सभा के किसी अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध चलाये गये सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां जो उक्त दिनांक को विचाराधीन हों, यथास्थिति, ग्राम पंचायत या अधिकारी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार जारी रहेगी मानों ऐसे अभियोजन, वाद या कार्यवाही चलाये जाने के समय ग्राम पंचायत संघटित की जा चुकी हो।

**ग्राम पंचायतों के संगठन तक के लिए व्यवस्था**

**118**–इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक की ओर से, इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायतों के संगठन तक की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत और उसके प्रधान, [1][x x x] और सदस्य क्रमशः ग्राम पंचायत और उसके प्रधान, [1][x x x] और सदस्यों के अधिकार का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे और ग्राम पंचायत के प्रधान, [1][x x x] और सदस्य समझे जायेंगे।

**कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**

**119**–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार जैसा अवसर विशेष पर अपेक्षित हो, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि यह अधिनियम ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्धन या लोग के रूप में हों, प्रभावी होगा, जिन्हें वह आवश्यक या इष्टकर समझें।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा बनाये गये उपबन्ध प्रभावी होंगे मानों इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हैं और ऐसा कोई आदेश किसी भूतलक्षी दिनांक से, किन्तु जो उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के पूर्व के दिनांक नहीं होगा, दिया जा सकता है।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।][2]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44, 2007 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1994 की धारा 59 द्वारा बढ़ाया गया।

## अनुसूची

[धारा 68 देखिये]

| सिविल वादों का विवरण | परिसीमा अवधि | वह समय जब से अवधि प्रारम्भ होती है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. किसी संविदा पर देय धनराशि के लिये | 3 वर्ष | जब धनराशि वादी को देय हो जाय। |
| 2. जंगम सम्पत्ति या उसके मूल्य की वसूली के लिये | तदैव | जब वादी जंगम सम्पत्ति के परिदान का हकदार हो गया हो। |
| 3. किसी जंगम सम्पत्ति को दोषपूर्ण रूप से लेने या हानि पहुँचाने के निमित्त प्रतिकर के लिये | तदैव | जब जंगम सम्पत्ति दोषपूर्ण रूप से ले ली गयी थी या जब उसे हानि पहुँचायी गयी थी। |
| 4. पशुओं के अनधिकृत प्रवेश द्वारा पहुँची क्षति के लिये | 6 मास | जब पशुओं के अनधिकृत प्रवेध द्वारा क्षति पहुँची थी। |